

ग्रीनफील्ड बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के संबंध में

शेयरधारक समझौता

के बीच

कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच

फ्लुघाफेन ज़्यूरिख एजी

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड

बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

दिनांक 23 जनवरी, 2002

शेयरधारक समझौता

यह शेयरधारक समझौता बेंगलोर में, 23 जनवरी, 2002 को, इसके द्वारा और बीच में निष्पादित किया गया है:

1. **कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय # 36 कनिंघम रोड, बेंगलोर - 560 052, भारत में है (इसके बाद "केएसआईआईडीसी" (KSIIDC) के रूप में संदर्भित है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय शामिल होंगे) प्रथम पक्ष के रूप में; और
2. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम, 1994 के तहत गठित एक प्राधिकरण, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110 003, भारत में है (इसके बाद "एएआई" (AAI) के रूप में संदर्भित है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष के रूप में; और
3. **सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच** (Siemens Project Ventures GmbH), संघीय गणराज्य जर्मनी के कानूनों के तहत एरलांगेन में निगमित एक कंपनी और जिसका प्रधान कार्यालय Freyeslebenstr 1, D-91058, Erlangen, Germany में है (इसके बाद "सीमेंस" (Siemens) के रूप में संदर्भित है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय शामिल होंगे) तृतीय पक्ष के रूप में; और
4. **फ्लुघाफेन ज्यूरिख एजी** (Flughafen Zuerich AG), स्विट्जरलैंड के कानूनों के तहत ज्यूरिख में निगमित एक कंपनी और जिसका प्रधान कार्यालय CH-8058 Zuerich-Airport, Switzerland में है (इसके बाद "यूनिक ज्यूरिख" (Unique Zurich) के रूप में संदर्भित है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय शामिल होंगे) चतुर्थ पक्ष के रूप में; और
5. **लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड**, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय एलएंडटी हाउस, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001 में है (इसके बाद "एलएंडटी" (L&T) के रूप में संदर्भित है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय शामिल होंगे) पंचम पक्ष के रूप में।
6. **बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय # 36 कनिंघम रोड, बेंगलोर - 560 052, भारत में है

(इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय शामिल होंगे) छठे पक्ष के रूप में; और

जबकि

क. कर्नाटक सरकार (GoK) और भारत सरकार (GoI) भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलूर के पास देवनहल्ली में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ एक ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में एक हवाईअड्डे का विकास करना चाहते हैं, और इस प्रभाव के लिए कर्नाटक सरकार ने केएसआईआईडीसी (KSIIDC) को एक संयुक्त उद्यम के रूप में हवाईअड्डे के विकास की दिशा में सभी गतिविधियों को करने के लिए एक नोडल एजेंसी होने के लिए अधिकृत किया है।

ख. भारत सरकार (GoI), जैसा कि नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, ने इसी तरह हवाईअड्डे के विकास में भाग लेने के लिए एएआई (AAI) को अधिकृत किया है और आवश्यक शक्तियां निहित की हैं।

ग. यह परियोजना कर्नाटक राज्य के लिए सर्वोपरि महत्व का है, और कर्नाटक सरकार (GoK) ने, एक पथप्रदर्शक नीतिगत निर्णय लेते हुए, भारत सरकार (GoI) के समर्थन से, निजी क्षेत्र के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में हवाईअड्डा विकास के लिए ग्रीनफील्ड परियोजना को मंजूरी दी है।

घ. परियोजना के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, कर्नाटक सरकार ने कंपनी को कर्नाटक राज्य में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित कराया है।

ड. कर्नाटक राज्य ने प्रोजेक्ट के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि यह राज्य की आम जनता के हितों में है और उम्मीद है कि परियोजना क्षेत्र में उद्योगों, पर्यटन और कार्गो आवाजाही के समग्र विकास और वृद्धि को गति प्रदान करेगा।

च. केएसआईआईडीसी (KSIIDC) ने जून 1999 में, संयुक्त उद्यम के आधार पर निजी वित्तपोषण के माध्यम से परियोजना के लिए बोलियाँ आमंत्रित कीं।

छ. भारत सरकार (GoI) ने कर्नाटक सरकार (GoK) को संबोधित अपने 5 मई, 1999 के पत्र के माध्यम से बेंगलूर के देवनहल्ली में बनाए जाने वाले प्रस्तावित नए बेंगलूर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे को मंजूरी दे दी है।

ज. प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के बाद, प्राइवेट प्रमोटरों को परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में चुना गया है।

झ. प्राइवेट प्रमोटरों ने प्रस्ताव दिया था कि परियोजना केवल राज्य के समर्थन और रियायती शर्तों पर भूमि के पट्टे के साथ ही संभव है, क्योंकि ऋणदाताओं से इक्विटी योगदान और ऋण वित्तपोषण के माध्यम से प्रोजेक्ट के लिए वित्तपोषण को पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता था।

ज. उपर्युक्त को देखते हुए, भारत सरकार (GoI) और कर्नाटक सरकार (GoK) एयरपोर्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और लैंड लीज एग्रीमेंट के संदर्भ में कंपनी का समर्थन करने के लिए सहमत हुए हैं।

ट. पक्ष गैर-परिक्रामी परियोजना वित्तपोषण (Non-Recourse Project Financing) और संयुक्त उद्यम के आधार पर प्रोजेक्ट के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव को करने के लिए कंपनी के संचालन में सहयोग करना चाहते हैं।

ठ. पक्ष कंपनी की संरचना, दायरे, प्रबंधन और संचालन पर अपने समझौते को यहाँ दर्ज करना चाहते हैं और अपने संबंधित अधिकारों, दायित्वों और आपसी संबंधों को निर्धारित करना चाहते हैं।

यह सहमति हुई है

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ: इस समझौते में, इसके प्रस्तावनाओं सहित, निम्नलिखित शब्दों, अभिव्यक्तियों और संक्षिप्त रूपों के निम्नलिखित अर्थ होंगे, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा मांग न हो:

"एएआई इक्विटी कैप" (AAI Equity Cap) का अर्थ है एएआई (AAI) का अधिकतम इक्विटी योगदान, जो रु. 50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगा।

"अधिनियम" का अर्थ है कंपनी अधिनियम 1956, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, पूरक या संशोधित किया जा सकता है।

"संबद्ध" (Affiliate) का अर्थ है किसी पक्ष के संबंध में 100% सहायक कंपनी या 100% नियंत्रण वाली कंपनी। इस उद्देश्य के लिए "नियंत्रण" का अर्थ बोर्ड की संरचना को नियंत्रित करने और ऐसे संबद्ध के शेयरों से जुड़ी सभी मतदान अधिकारों का किसी भी आम बैठक में प्रयोग करने की क्षमता है।

"समझौता" का अर्थ है यह शेयरधारक समझौता जिसमें सभी संलग्नक और अनुसूचियां शामिल हैं।

"हवाईअड्डा" (Airport) का अर्थ भारत के कर्नाटक, बेंगलोर के पास देवनहल्ली में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार निर्मित और चालू किए जाने के लिए प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा है।

"हवाईअड्डा विकास समझौता" या "एडीए" (ADA) का अर्थ हवाईअड्डे को डिजाइन करने, इंजीनियरिंग करने, विकसित करने, वित्तपोषित करने, प्राप्त करने, निर्माण करने, संचालित करने और रखरखाव करने के लिए कर्नाटक सरकार (GoK), भारत सरकार (GoI) और कंपनी द्वारा दर्ज किया जाने वाला हवाईअड्डा विकास समझौता है।

"अनुच्छेद" (Articles) का अर्थ कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

"बोर्ड" का अर्थ खंड 9 के प्रावधानों के अनुसार गठित कंपनी के निदेशक मंडल से है।

"बिजनेस दिवस" (Business Day) का अर्थ एक ऐसा दिन है जिस दिन सामान्यतः बैंक सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के लेनदेन के लिए बेंगलोर में खुले होते हैं।

"अध्यक्ष" (Chairman) का अर्थ खंड 9.1 के अनुसार चुने गए बोर्ड के अध्यक्ष से होगा।

"वाणिज्यिक संचालन" (Commercial Operations) का अर्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार हवाईअड्डे का वाणिज्यिक संचालन है।

"वाणिज्यिक संचालन तिथि" (Commercial Operations Date) का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन कंपनी द्वारा नागर विमानन महानिदेशक से एक लाइसेंस, प्रमाणन या अन्य उचित प्राधिकरण प्राप्त किया जाता है कि हवाईअड्डा वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए तैयार है।

"कंपनी" का अर्थ बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है जिसके निगमीकरण विवरण इसके अनुसूची 1 में संलग्न हैं।

"करोड़" का अर्थ 1,00,00,000 की संख्या है।

"अनुपालन विलेख" (Deed of Adherence) का अर्थ इसके अनुसूची 2 में निर्धारित प्रासंगिक रूप में काफी हद तक एक अनुपालन विलेख है।

"विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट" (Detailed Project Report) का अर्थ परियोजना प्रस्ताव, मास्टर प्लान और इसके अनुसूची 5 से प्राप्त और आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है, और जैसा कि प्राइवेट प्रोमोटर्स और राज्य प्रोमोटर्स के बीच सहमति हुई है।

"विकास बजट" (Development Budget) का अर्थ खंड 4.3 में दिया गया अर्थ होगा।

"विकास चरण" (Development Phase) का अर्थ इस समझौते के निष्पादन की तिथि से वित्तीय समापन तक की अवधि है।

"निदेशक" (Director(s)) का अर्थ कंपनी के तत्कालीन निदेशक (निदेशकों) से है।

"इक्विटी प्रतिबद्धता" (Equity Commitment) का अर्थ शेयरों में निवेश करने के लिए एक पक्ष द्वारा प्रतिबद्ध कुल राशि है, जैसा कि अनुसूची 3 में निर्धारित है।

"इक्विटी योगदान" (Equity Contributions) का अर्थ प्रत्येक पक्ष द्वारा अपनी इक्विटी प्रतिबद्धता की ओर अभिदान की जाने वाली इक्विटी है।

"इक्विटी प्रतिशत" (Equity Percentage) का अर्थ खंड 7 के अनुसार प्रत्येक पक्ष द्वारा आयोजित या आयोजित की जाने वाली कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत है।

"उचित बाजार मूल्य" (Fair Market Value) का अर्थ इसके अनुसूची 6 में उल्लिखित मूल्यांकन तंत्र का उपयोग करके गणना किए गए शेयरों का मूल्य है।

"वित्तीय समापन" (Financial Close) का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्यिक संचालन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुमानित सभी वित्तपोषण कंपनी के लिए बिना शर्त उपलब्ध हो जाते हैं (केवल इसके तहत आहरण के आवश्यक नोटिस देने के अधीन) ।

"वित्तपोषण समझौते" (Financing Agreements) का अर्थ, सामूहिक रूप से, कंपनी (या किसी अन्य लागू व्यक्ति जो इसका पक्ष है) और ऋणदाताओं द्वारा दर्ज किए गए समझौते, उपकरण और अन्य दस्तावेज हैं जिनके तहत ऋण वित्तपोषण कंपनी को बढ़ाया जाता है।

"जीएएपी" का अर्थ द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर प्रकाशित भारत के आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत हैं।

"भारत सरकार" (GoI) का अर्थ भारत सरकार है जिसमें समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत विधिवत गठित प्राधिकरण रखने वाला इसका कोई भी विभाग, मंत्रालय, प्राधिकरण, बोर्ड या एजेंसी शामिल है।

"कर्नाटक सरकार" का अर्थ कर्नाटक राज्य सरकार है जिसमें समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत विधिवत गठित प्राधिकरण रखने वाला इसका कोई भी विभाग, मंत्रालय, प्राधिकरण, बोर्ड या एजेंसी शामिल है।

"सरकारी अनुमोदन" का अर्थ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के संबंध में आवश्यक किसी भी सरकारी प्राधिकरण की सभी सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, आदेश, परमिट, मंजूरी या प्राधिकरण, और पंजीकरण, घोषणाएं और फाइलिंग हैं

"सरकारी प्राधिकरण" का अर्थ है भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, और विचाराधीन मामले या मामलों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला कोई भी नगरपालिका/स्थानीय निकाय।

"गारंटीकृत अधिकतम मूल्य" का अर्थ है इसके साथ संलग्न अनुसूची 5 (21 सितंबर, 2001 को हस्ताक्षरित चर्चाओं का रिकॉर्ड होने के नाते) में बताए अनुसार वाणिज्यिक संचालन प्राप्त करने की अधिकतम लागत।

"आईसीई" (ICE) का अर्थ स्वतंत्र परामर्श इंजीनियर है।

"आईपीओ" (IPO) का अर्थ कंपनी द्वारा शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश है।

"लाख" का अर्थ 1,00,000 की संख्या है।

"भूमि" का अर्थ कर्नाटक सरकार द्वारा कंपनी को प्रोजेक्ट के उद्देश्यों के लिए, भूमि पट्टे के समझौते में सहमति और बताए गए नियमों और शर्तों पर प्रदान करने के लिए सहमत लगभग चार हजार तीन सौ (4,300) एकड़ की कुल माप वाली भूमि है।

"भूमि पट्टा समझौता" का अर्थ वह दस्तावेज और/या साधन है जिसके तहत केएसआईआईडीसी/कर्नाटक सरकार, जैसा भी मामला हो, प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को भूमि प्रदान करेगी।

"ऋणदाता" का अर्थ वित्तपोषण समझौतों के तहत ऋण, हायर परचेज सुविधाएं, फंड, लीज फाइनेंस या अन्य क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति है।

"लिस्टिंग" का अर्थ इस समझौते के खंड 16 के अनुसार एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग है।

"लॉक-इन अवधि" का अर्थ इसके खंड 7.7 में इसके लिए दिया गया अर्थ है।

"मास्टर प्लान" का अर्थ प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर आधारित योजना है, जो पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार भूमि सीमा के भीतर हवाईअड्डा प्रतिष्ठानों के लेआउट को परिभाषित करती है।

"भौतिक उल्लंघन" का अर्थ इसके तहत अपने किसी भी दायित्व का किसी पक्ष द्वारा उल्लंघन है जो इस समझौते द्वारा परिकल्पित लेनदेन के प्रदर्शन को भौतिक रूप से और काफी हद तक प्रभावित करता है।

"ज्ञापन" का अर्थ समय-समय पर संशोधित कंपनी का एसोसिएशन का ज्ञापन है।

"एमओसीए" (MoCA) का अर्थ नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार है।

"नॉन-रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग" का अर्थ ऋणदाताओं द्वारा कंपनी को इस आधार पर प्रदान किया गया ऋण वित्त है कि ऐसे ऋणदाताओं का कंपनी पर रिकोर्स केवल कंपनी की संपत्ति पर होगा न कि उसके शेयरधारकों पर।

"अन्य निवेशक" का अर्थ निजी प्रमोटरों के अलावा अन्य निवेशक हैं, जो खंड 7.4 में बताए अनुसार शेयर रख सकते हैं।

"पक्षकार" का अर्थ केएसआईआईडीसी, एएआई, सीमेंस, यूनिक ज्यूरिख और एलएंडटी (जैसा कि संदर्भ के अनुसार आवश्यक है) में से कोई भी दो या दो से अधिक और इस समझौते के संदर्भ में उनके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय हैं।

"पक्षकार" का अर्थ केएसआईआईडीसी, एएआई, सीमेंस, यूनिक ज्यूरिख या एलएंडटी (जैसा कि संदर्भ के अनुसार आवश्यक है) में से कोई भी एक और इस समझौते के संदर्भ में इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय हैं।

"निष्पादन प्रतिभूति" का अर्थ रु. 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) की राशि के लिए एक अनुसूचित बैंक से, इसके तहत अपने दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए निजी प्रमोटरों द्वारा राज्य प्रमोटरों को प्रदान की गई बैंक गारंटी है।

"पूर्व-समझौता विकास लागत" का अर्थ परियोजना के डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास के लिए इस समझौते के निष्पादन की तिथि तक, निजी प्रमोटरों, राज्य प्रमोटरों या उनके संबंधित सहयोगियों द्वारा किए गए सभी प्रत्यक्ष बाहरी और आंतरिक लागत हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और डिजाइन अध्ययनों की लागत, हवाई यातायात अध्ययन, इसके लिए सलाहकारों और/या सलाहकारों और अन्य तीसरे पक्षों को शामिल करना शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, (i) परियोजना में रुचि प्राप्त करना; (ii) इस समझौते या किसी परियोजना समझौते में प्रवेश करना; और (iii) (i) और (ii) के संबंध में पक्षों द्वारा किए गए सभी कानूनी, यात्रा और ओवरहेड लागत को छोड़कर। पूर्व-समझौता विकास लागत के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, लागत की प्रत्येक वस्तु का ऑडिट किया जाएगा और पक्षों द्वारा अनुमोदित ऑडिट फर्म/सलाहकार द्वारा पूर्व-समझौता विकास लागत के रूप में अनुमोदित किया जाएगा।

"पूर्व-वित्तीय समापन विकास लागत" का अर्थ विकास बजट में से और उसके अनुसार कंपनी द्वारा किए गए सभी लागत हैं।

"निजी प्रमोटर" का अर्थ सीमेंस, यूनिक ज्यूरिख और एलएंडटी, और ऐसा अन्य पक्ष है जो समय-समय पर निजी प्रमोटरों और राज्य प्रमोटरों के बीच एक सह-प्रमोटर होने के लिए सहमत हो सकता है, और इसके नियमों के अनुसार उनके संबंधित उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय हैं।

"परियोजना" का अर्थ नियमों के अनुसार हवाईअड्डे का डिजाइन, इंजीनियरिंग, विकास, वित्तपोषण, खरीद, निर्माण, संचालन और रखरखाव है।

"परियोजना समझौते" वर्तमान के लिए, निम्नलिखित समझौतों को शामिल करते हैं जिन्हें विधिवत निष्पादित किया जाएगा:

(क) एडीए;

(ख) इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अनुबंध;

(ग) संचालन और प्रबंधन समझौते;

(घ) भूमि पट्टा समझौता;

(ङ) संचार और नौवहन सेवाएं और एयर ट्रेफिक मैनेजमेंट समझौते;

(च) राज्य समर्थन समझौता,

(छ) वित्तपोषण समझौते,

और परियोजना के संबंध में कंपनी द्वारा दर्ज किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण अनुबंध और जिन पर परियोजना समझौतों के रूप में माने जाने के लिए पक्षों द्वारा सहमति दी जाती है।

"परियोजना प्रस्ताव" का अर्थ पक्षों द्वारा सहमत संशोधनों और मान्यताओं के साथ परियोजना के संबंध में 30 अप्रैल, 2001 का निजी प्रमोटर का प्रस्ताव है और जो मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विकास के लिए आधार बनता है।

"आरबीआई" (RBI) का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक है।

"रु" और "रुपये" का अर्थ भारत की मुद्रा है।

"सचिव" का अर्थ कंपनी के कंपनी सचिव हैं।

"शेयर" का अर्थ कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में प्रत्येक रु 10/- के नाममात्र मूल्य के इक्विटी शेयर हैं।

"राज्य प्रमोटर" का अर्थ केएसआईआईडीसी और एएआई और उनके संबंधित उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशीय हैं।

"राज्य समर्थन" का अर्थ राज्य समर्थन समझौते के अनुसार परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कंपनी को प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन से है।

"राज्य समर्थन समझौता" कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य समर्थन प्रदान करने के संबंध में कर्नाटक सरकार और कंपनी के बीच दर्ज किया गया या दर्ज किया जाने वाला समझौता है।

"यूएसडी" (USD) का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है।

1.2 व्याख्या: इस समझौते में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) एक वचन संख्या के संदर्भों में बहुवचन संख्या और विलोमतः के संदर्भ शामिल होंगे ।

(ii) एक "व्यक्ति" के संदर्भों में प्राकृतिक व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनियां, निकाय कॉर्पोरेट और संघ, चाहे निगमित हों या नहीं या कोई अन्य संगठन या संस्था जिसमें कोई सरकारी या राजनीतिक उप-विभाजन, मंत्रालय, विभाग या एजेंसी शामिल है, के संदर्भ शामिल होंगे।

(iii) प्रस्तावना, खंड और अनुसूचियों के संदर्भ इस समझौते की प्रस्तावना, खंड और अनुसूचियों के लिए हैं।

(iv) यहाँ सांविधिक प्रावधान का कोई भी संदर्भ ऐसे प्रावधान को शामिल करेगा, जैसा कि समय-समय पर लागू है और समय-समय पर संशोधित या पुनर्रहित है, जहाँ तक ऐसा संशोधन या पुनर्रक्षण इस समझौते द्वारा कवर किए गए किसी भी लेनदेन पर लागू होने में सक्षम है।

1.3 यहाँ प्रयुक्त खंड शीर्षक केवल संदर्भ की आसानी के लिए हैं और इस समझौते की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

1.4 अनुसूचियाँ इस समझौते का एक अभिन्न अंग बनेंगी।

2. विवेचन

इस समझौते में निर्धारित आपसी समझौतों और उपक्रमों के विवेचन में पक्षकारों ने पारस्परिक रूप से अधिकार प्रदान किए हैं और इस समझौते में निर्धारित दायित्वों को स्वीकार किया है।

3. पूर्ववर्ती शर्तें

3.1 इक्विटी योगदान के लिए पूर्ववर्ती शर्तें: खंड 4.3 में प्रदान किए गए को छोड़कर, प्रत्येक पक्ष का अपना इक्विटी योगदान करने का दायित्व निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि या छूट के अधीन है, जो प्रत्येक मामले में पक्षों के लिए संतोषजनक रूप में और फॉर्म में है:

(i) परियोजना समझौतों की प्रभावशीलता;

(ii) हवाईअड्डे के निर्माण की शुरुआत के लिए आवश्यक सरकारी अनुमोदन की प्राप्ति;

(iii) वित्तीय समापन;

(iv) राज्य प्रमोटरों और निजी प्रमोटरों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत रूप और तरीके से ज्ञापन और लेखों का संशोधन; और

(v) कंपनी में अपने निवेश के लिए, यदि आवश्यक हो, आरबीआई की मंजूरी की निजी प्रमोटरों द्वारा प्राप्ति।

3.2 पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि: प्रत्येक पक्षकार प्रत्येक खंड 3.1 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास करेगा। उस अंत की ओर पक्षों ने इसके अनुसूची

8 में बताए अनुसार पक्षों और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की एक अनुसूची पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, इस स्थिति में कि खंड 3.1 में संदर्भित शर्तें दिनांक 30 सितंबर, 2002 तक संतुष्ट नहीं हैं, यह समझौता समाप्त हो जाएगा, जब तक कि पक्षों ने इसके वित्तीय विवरण सहित परियोजना की पारस्परिक रूप से समीक्षा नहीं की हो, और ऐसी शर्तों की संतुष्टि के लिए इस समय सीमा के विस्तार पर सहमति व्यक्त नहीं की हो।

4. विकास लागत

4.1 पूर्व-समझौता विकास लागत: ऋणदाताओं की सहमति के अधीन, पक्षों द्वारा किए गए पूर्व-समझौता विकास लागत को वित्तीय समापन पर कंपनी द्वारा पक्षों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्या ऐसी प्रतिपूर्ति के लिए ऋणदाताओं की सहमति उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, ऐसे पूर्व-समझौता विकास लागत को वित्तीय समापन पर कंपनी द्वारा शेयरों के तदनुरूप जारी करने के विरुद्ध इक्विटी पूंजी में पूंजीकृत किया जाएगा। इसके निष्पादन के पंद्रह (15) दिनों के भीतर, प्रत्येक पक्ष अन्य पक्षों को इसके द्वारा किए गए ऐसे लागतों का विवरण प्रदान करेगा।

4.2 राज्य प्रमोटरों की पूर्व-समझौता विकास लागत: राज्य प्रमोटरों की पूर्व-समझौता विकास लागत के बीच, 20 मार्च, 2000 के प्रस्ताव के अनुरोध में निर्धारित अनुसार हारने वाले बोलीदाता की बोली तैयारी लागत की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए लागत और खर्च शामिल हैं, जो अधिकतम रु. 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) के अधीन है।

4.3 पूर्व-वित्तीय समापन विकास लागत: इस समझौते के निष्पादन के पंद्रह (15) दिनों के भीतर, पक्षकार कंपनी द्वारा किए जाने वाले विकास लागत के लिए एक बजट पर सहमति व्यक्त करेंगे ("विकास बजट")। ऐसे विकास बजट में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित मदवार व्यय शामिल होंगे। खंड 3.1 के प्रावधानों के बावजूद, पक्षकार निम्नलिखित अनुपात में इक्विटी अभिदान या इक्विटी के खिलाफ अग्रिम द्वारा इस विकास बजट को निधि देंगे: (i) निजी प्रमोटर चौहत्तर प्रतिशत (74%); और (ii) राज्य प्रमोटर छब्बीस प्रतिशत (26%)। बोर्ड समय-समय पर पक्षों पर पूंजी कॉल कर सकता है और पक्षों द्वारा किए गए ऐसे अभिदान के संबंध में सममूल्य पर इक्विटी शेयर जारी कर सकता है या इक्विटी के खिलाफ अग्रिम के रूप में प्राप्त धन को रख सकता है। विकास बजट से किए गए सभी लागत पूर्व-वित्तीय समापन विकास लागत होंगे और कंपनी द्वारा और कंपनी के नाम पर किए जाएंगे।

4.4 कुछ परिस्थितियों में निजी प्रमोटरों को विकास लागत की प्रतिपूर्ति: यदि वित्तीय समापन से पहले किसी भी समय निम्नलिखित घटनाओं में से कोई भी घटित होती है:

(क) परियोजना को कर्नाटक सरकार द्वारा छोड़ दिया जाता है;

(ख) शर्तें सहमत होने के बाद कर्नाटक सरकार भूमि का पट्टा देने में विफल रहती है; या

(ग) शर्तें सहमत होने के बाद कर्नाटक सरकार राज्य समर्थन समझौते में प्रवेश करने में विफल रहती है,

तो निजी प्रमोटर इस समझौते को समाप्त कर सकते हैं और इस तरह की समाप्ति पर राज्य प्रमोटर (क) निजी प्रमोटरों को, उनके पूर्व-समझौता विकास लागत, रु. 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) की सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति करेंगे; और (ख) उस स्थिति में इक्विटी के खिलाफ अग्रिम राशियों की प्रतिपूर्ति करेंगे जिसके लिए शेयर जारी नहीं किए गए हैं या यदि खंड 4.3 के अनुसार निजी प्रमोटरों को शेयर जारी किए गए हैं तो उन्हें उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त करेंगे, जो रु. 40,00,00,000/- (चालीस करोड़ रुपये) की सीमा के अधीन है।

4.5 कुछ परिस्थितियों में राज्य प्रमोटरों को विकास लागत की प्रतिपूर्ति: यदि वित्तीय समापन से पहले किसी भी समय निजी प्रमोटर प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं, तो राज्य प्रमोटर इस समझौते को समाप्त करने के हकदार होंगे और इस तरह की समाप्ति पर, राज्य प्रमोटर (क) खंड 10.4 में संदर्भित निष्पादन सुरक्षा को जब्त करने के हकदार होंगे; और (ख) कंपनी को उस स्थिति में निजी प्रमोटरों द्वारा इक्विटी के खिलाफ अग्रिम राशियों को जब्त करने का कारण बनेंगे जिसके लिए शेयर जारी नहीं किए गए हैं या यदि खंड 4.3 के अनुसार निजी प्रमोटरों को शेयर जारी किए गए हैं तो रु. 100/- (केवल एक सौ रुपये) के कुल प्रतिफल पर ऐसे सभी शेयरों को प्राप्त करने के लिए।

5. कंपनी का व्यवसाय

कंपनी का मुख्य व्यवसाय और गतिविधि, जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, हवाईअड्डे का संवर्धन, विकास, वित्तपोषण, निर्माण और संचालन होगा जिसमें इसके कुशल और लाभदायक संचालन के लिए आवश्यक कोई अन्य गतिविधि शामिल है।

6. पक्षकारों की भूमिका

6.1 परियोजना को तेजी से पूरा करना: पक्ष पहचानते हैं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना को पूरा करना अनिवार्य है।

6.2 निजी प्रमोटरों की भूमिका: निजी प्रमोटर कंपनी के संचालन के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रबंधन करेंगे ताकि निजी प्रमोटरों का अनुभव और विशेषज्ञता निरंतर आधार पर कंपनी के लिए उपलब्ध हो सके:

(क) व्यापक मास्टर प्लान की तैयारी;

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और मास्टर प्लान के अनुसार परियोजना का डिजाइन और विवरण;

(ग) ऋण और इक्विटी जुटाने सहित परियोजना के लिए वित्तीय समापन;

(घ) परियोजना को शुरू करने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरणों की प्राप्ति;

(ङ) इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण और संचालन और रखरखाव के संबंध में परियोजना समझौतों का पुरस्कार;

(च) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों के निर्माण की पूर्णता;

(छ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 'कुल गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम' का कार्यान्वयन;

(ज) परियोजना के निर्माण और परिचालन चरणों के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन;

(झ) परियोजना समझौतों के अनुसार सभी मशीनरी, प्लांट, उपकरण और इंस्ट्रुमेंटेशन की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की पूर्णता;

(ञ) अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से अपेक्षित मानकों के अनुसार अपने उपयोगकर्ताओं को सेवा के आवश्यक स्तर प्रदान करने के लिए संरक्षित और सुरक्षित रूप से हवाईअड्डे का संचालन और रखरखाव और भारत के नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप;

(ट) विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को बनाए रखने या सुधारने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डे और सुविधाओं का उन्नयन;

(ठ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित रूप से यातायात को सृजित करने और बढ़ाने के लिए एक वाणिज्यिक और कार्गो हब के रूप में हवाईअड्डे का विपणन, संवर्धन और ब्रांड निर्माण; और

(ड) हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं (एयरलाइनें, यात्रियों, आगंतुकों और अन्य) और सहायक सुविधाओं और/या अन्य गतिविधियों से राजस्व, शुल्क, प्रभारों का संग्रहण, विनियोग और आवंटन जिसे एकत्र करने के लिए कंपनी हकदार है।

6.3 समझौते की भावना और इरादा: प्रत्येक पक्ष कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में अपने अधिकारों के प्रयोग और अपने दायित्वों के निर्वाह में एक दूसरे के प्रति यथोचित और सदभावना से कार्य करने का उपक्रम करता है।

7. कंपनी की शेयर पूंजी

7.1 प्राधिकृत शेयर पूंजी: कंपनी की वर्तमान प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) मात्र है, जो रु. 10/- (दस रुपये) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,00,00,000 (पाँच करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी, इस समझौते के नियमों और शर्तों के अधीन, अपने वर्तमान स्तर से बढ़ाकर रु. 350,00,00,000/- (तीन सौ पचास करोड़ रुपये) कर दी जाएगी।

7.2 (क) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी: इस समझौते की तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता पूंजी 500,000 रुपये (केवल पांच लाख रुपये) है जो रु 10/- प्रत्येक के 50,000 (पचास हजार) शेयरों में विभाजित है और इस प्रकार आयोजित की जाती है:

नाम	शेयरों की संख्या	नाममात्र राशि (रु.)
श्री एन. आर. नारायण मूर्ति -	1	10/-
श्री राजीव चंद्रशेखर -	1	10/-
श्री बी. के. दास (कर्नाटक अवसंरचना विकास निगम के नामिती)-	49,994	4,99,940/-
श्री सी. के. नीलकंठ राज -	1	10/-
श्री आर. एन. चव्हाण -	1	10/-
श्री जी. एल. जेरे -	1	10/-
श्री चेरियन थॉमस -	1	10/-
कुल -	50,000	5,00,000/-

(ख) वर्तमान शेयरों का हस्तांतरण: खंड 7.2(क) में संदर्भित शेयरों को अन्य पक्षों द्वारा पहली इक्विटी सदस्यता के समय केएसआईआईडीसी (या उनके नामितों) को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस बात पर सहमति है कि किसी भी समय कंपनी में कम से कम सात (7) शेयरधारक

होंगे। ये, पक्षों के अलावा, अधिनियम के तहत केएसआईआईडीसी की ओर से शेयर रखने वाले नामिती होंगे।

7.3 शेयरधारिता और पूंजी संरचना: इस समझौते के अनुसार शेयरों की सदस्यता पर, कंपनी की चुकता पूंजी संरचना इस प्रकार होगी:

पक्ष	कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत
निजी प्रमोटर और अन्य निवेशक (सामूहिक रूप से)	74%
राज्य प्रमोटर (सामूहिक रूप से)	26%
कुल	100%

7.4 अन्य निवेशक: निजी प्रमोटर इक्विटी प्रतिबद्धता के अनुसार शेयरों में निवेश करने और/या निवेश की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होंगे। खंड 7.7 (iii) के प्रावधानों के अधीन जो उन शेयरों को प्रदान करता है जो निजी प्रमोटरों द्वारा रखे जाने चाहिए, वे सदस्यता द्वारा या निजी प्रमोटरों से शेयरों की खरीद द्वारा शेयर रखने के लिए अन्य निवेशकों को शामिल कर सकते हैं। ऐसे निवेशक, अन्य निवेशकों की क्षमता में शेयरधारकों के रूप में अपने शामिल होने से पहले, चाहे सदस्यता द्वारा या निजी प्रमोटरों से शेयरों की खरीद द्वारा:

(क) राज्य प्रमोटरों द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किए गए होंगे (जिसे अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा); और

(ख) **अनुसूची 2** में दिए गए रूप में एक अनुपालन विलेख निष्पादित किया होगा।

7.5 इक्विटी योगदान: पक्षकार अपने संबंधित इक्विटी योगदान को संबंधित इक्विटी प्रतिशत में और बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशियों में, उनकी संबंधित इक्विटी प्रतिबद्धताओं तक करेंगे।

7.6 राज्य प्रमोटरों द्वारा अंशदान:

(i) नीचे (ii) के अधीन, वित्तीय समापन पर, राज्य प्रमोटर कंपनी और निजी प्रमोटरों को अपनी संबंधित व्यक्तिगत शेयरधारिता प्रतिशत सूचित करेंगे, जो संचयी रूप से छब्बीस प्रतिशत (26%) होगी। प्रत्येक राज्य प्रमोटर कंपनी की शेयर पूंजी में इस तरह से सदस्यता लेगा कि ऐसे राज्य प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या ऊपर अधिसूचित जारी और चुकता शेयर पूंजी के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। बोर्ड द्वारा किए गए पूंजी कॉल के अनुसरण में, किसी

भी राज्य प्रमोटर के इक्विटी योगदान करने में विफल रहने की स्थिति में, डिफॉल्ट न करने वाला राज्य प्रमोटर डिफॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर के इक्विटी योगदान को निधि देने का हकदार होगा। इस समझौते के अन्य प्रावधानों पर पूर्वाग्रह के बिना, अन्य राज्य प्रमोटर द्वारा डिफॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर के इक्विटी योगदान को निधि न देने की स्थिति में, निजी प्रमोटर (ऐसा करने के किसी भी दायित्व के बिना) ऐसे इक्विटी योगदान को निधि दे सकते हैं।

(ii) एएआई इक्विटी कैप के अधीन, राज्य प्रमोटरों की संयुक्त शेयरधारिता कुल चुकता शेयर पूंजी के छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम नहीं होगी और केएसआईआईडीसी, या इसके सहयोगी, यदि एएआई इक्विटी कैप पहुँच जाता है तो छब्बीस प्रतिशत (26%) की संयुक्त शेयरधारिता को बनाए रखने के लिए ऐसी अतिरिक्त राशि का योगदान करेंगे।

7.7 निजी प्रमोटरों द्वारा अंशदान: (i) निजी प्रमोटर सीधे और/या अपने सहयोगियों के माध्यम से शेयरों के लिए अभिदान देंगे, जिन्होंने ऐसे अंशदान से पहले उचित रूप में अनुपालन विलेख निष्पादित किया होगा।

(ii) वित्तीय समापन पर, निजी प्रमोटर कंपनी और राज्य प्रमोटरों को निजी प्रमोटरों और अन्य निवेशकों, यदि कोई हो, की व्यक्तिगत शेयरधारिता प्रतिशत सूचित करेंगे, जो नीचे (iii) पर पूर्वाग्रह के बिना, संचयी रूप से चौहत्तर प्रतिशत (74%) होगी। प्रत्येक निजी प्रमोटर कंपनी की शेयर पूंजी में सदस्यता लेगा या अन्य निवेशकों, यदि कोई हो, द्वारा सदस्यता का कारण बनेगा ताकि रखे गए शेयरों की संख्या ऊपर अधिसूचित जारी और चुकता शेयर पूंजी के प्रतिशत से अधिक न हो। बोर्ड द्वारा किए गए पूंजी कॉल के अनुसरण में, किसी भी निजी प्रमोटर के इक्विटी योगदान करने में विफल रहने की स्थिति में, डिफॉल्ट न करने वाले निजी प्रमोटर डिफॉल्टिंग प्राइवेट प्रमोटर के इक्विटी योगदान को निधि देने के हकदार होंगे। इस समझौते के अन्य प्रावधानों पर पूर्वाग्रह के बिना, अन्य निजी प्रमोटरों द्वारा डिफॉल्टिंग प्राइवेट प्रमोटर के इक्विटी योगदान को निधि न देने की स्थिति में, राज्य प्रमोटर (ऐसा करने के किसी भी दायित्व के बिना) ऐसे इक्विटी योगदान को निधि दे सकते हैं।

(iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समझौते के अनुसार शेयरों के लिए अंशदान करने पर, निजी प्रमोटरों की शेयरधारिता नीचे निर्धारित अवधियों (लॉक-इन अवधि) के दौरान निम्नलिखित लॉक-इन प्रतिबंधों के अधीन होगी:

(क) सीमेंस वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद तीन (3) वर्ष की अवधि तक कंपनी की चुकता पूंजी का कम से कम चालीस प्रतिशत (40%) सदस्यता लेगा और रखेगा और वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद सात (7) वर्ष की अवधि के लिए किसी भी स्थिति में छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम शेयर नहीं रखेगा;

(ख) यूनिट ज्यूरिख वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद तीन (3) वर्ष की अवधि तक कंपनी की चुकता पूंजी में कम से कम पाँच प्रतिशत (5%) शेयर सदस्यता लेगा और रखेगा; और

7.8 शेयरों के लिए भुगतान: खंड 4.1 के अधीन, प्रत्येक निजी प्रमोटर और राज्य प्रमोटर कंपनी द्वारा नामित भारत में बैंक/बैंकों में सममूल्य पर नकद राशि का भुगतान करके इसके द्वारा अभिदान के लिए सहमत शेयरों के लिए भुगतान करने हेतु सहमत हैं, जो इसके संबंध में लागू कानूनों के अधीन है।

7.9 शेयरों पर भुगतानों को सुरक्षित करना: निजी प्रमोटरों द्वारा शेयरों के लिए उचित नकद भुगतानों को सुरक्षित करने के लिए, प्रत्येक निजी प्रमोटर वित्तीय समापन से पहले एक प्रतिष्ठित बैंक द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय साख पत्र प्रदान करेगा जिसे कंपनी द्वारा खींचा जा सकता है यदि किसी निजी प्रमोटर ने बोर्ड द्वारा आवश्यक समय पर अपना इक्विटी योगदान नहीं चुकाया है। बशर्ते कि कंपनी तब तक ऐसे किसी भी साख पत्र से नहीं खींचेगी जब तक कि राज्य प्रमोटरों ने अपने संबंधित इक्विटी योगदान का भुगतान नहीं कर दिया हो।

7.10 परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता: इसके प्रावधानों पर पूर्वाग्रह के बिना, राज्य प्रमोटर और निजी प्रमोटर वाणिज्यिक संचालन प्राप्त करने और परियोजना को निरंतर स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास में कंपनी में और परियोजना के साथ अपनी सहभागिता को दीर्घकालिक व्यवस्था के रूप में चाहते हैं।

8 वित्त

8.1 गारंटीकृत अधिकतम मूल्य: पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि विस्तृत विश्लेषण और लागत के अनुकूलन के बाद, निजी प्रमोटरों ने वाणिज्यिक संचालन प्राप्त करने के लिए अनुसूची 5 में निर्धारित एक गारंटीकृत अधिकतम मूल्य की पेशकश की है जिसे राज्य प्रमोटरों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। गारंटीकृत अधिकतम मूल्य के उद्देश्यों के लिए अमेरिकी डॉलर 1 की विनिमय दर को रु 50/- (रुपये पचास) के बराबर माना गया है।

8.2 लागत अधिक होना: ईपीसी और कंपनी द्वारा दर्ज किए जाने वाले अन्य निर्माण और उपकरण आपूर्ति अनुबंध आम तौर पर एकमुश्त, निश्चित मूल्य, समयबद्ध और टर्न-की आधार पर संरचित किए जाएंगे। इस बात पर सहमति है कि उपर्युक्त अनुबंधों को इस तरह संरचित किया जाएगा कि, फोर्स मेज्योर जैसी विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, ऐसे किसी भी अनुबंध के तहत कोई भी लागत वृद्धि, अधिक होना या बकाया पूरी तरह से ठेकेदार के खाते में होगा।

8.3 नॉन-रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग: पक्षकारों का यह इरादा है कि प्रोजेक्ट को नॉन-रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा।

9. कंपनी का प्रबंधन

9.1 निदेशक मंडल:

(i) कंपनी का बोर्ड कंपनी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा और परियोजना के विकास और प्रबंधन और कंपनी से संबंधित सभी मामलों के संबंध में अधिकार रखेगा। बोर्ड विधिवत बुलाई गई बैठक में और जिसमें कोरम उपस्थित है, अधिनियम के तहत बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी अधिकार, शक्तियों और विवेक का बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा अभ्यास करने के लिए सक्षम होगा; बशर्ते, तथापि, नीचे खंड 9.4 में निर्धारित मामलों के संबंध में, प्रत्येक राज्य प्रमोटर और प्रत्येक निजी प्रमोटर की सकारात्मक लिखित सहमति आवश्यक होगी।

(ii) बोर्ड में शुरू में बारह (12) निदेशक शामिल होंगे। निजी प्रमोटरों को आठ (8) तक सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों (निजी प्रमोटर निदेशक) को नियुक्त करने और बदलने का अधिकार होगा। एएआई को दो (2) तक गैर-सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों को नियुक्त करने और बदलने का अधिकार होगा और केएसआईआईडीसी को दो (2) तक गैर-सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों (सामूहिक रूप से "राज्य प्रमोटरों के निदेशक" कहलाते हैं) को नियुक्त करने और बदलने का अधिकार होगा। पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की है कि अधिनियम की धारा 259 द्वारा आवश्यक केंद्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद निदेशकों की संख्या चौदह (14) तक बढ़ा दी जाएगी और ऐसे अतिरिक्त दो निदेशकों को इस प्रकार नियुक्त और बदला जाएगा: केएसआईआईडीसी - एक सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक और निजी प्रमोटर: एक सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक। बोर्ड की शक्तिय में किसी भी और वृद्धि को पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

(iii) प्रबंध निदेशक को निजी प्रमोटरों के निदेशकों में से बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

(iv) बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य प्रमोटरों के निदेशकों में से निदेशकों द्वारा चुना जाएगा। अध्यक्ष कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक नहीं होगा और उसके पास कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं होंगी। न तो अध्यक्ष और न ही कोई अन्य व्यक्ति जो किसी आम बैठक में या बोर्ड की किसी बैठक में या उसकी उप-समिति में अध्यक्षता कर सकता है, के पास दूसरा या निर्णायक वोट होगा। यदि अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित निदेशक बोर्ड के उद्देश्य के लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं।

(v) कोई भी निदेशक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मूल निदेशक के कार्य करने और उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य निदेशक को नियुक्त करने का हकदार होगा। वैकल्पिक निदेशक को सभी बैठकों की सूचना प्राप्त करने और मूल निदेशक के स्थान पर ऐसी बैठकों में भाग लेने और मतदान करने और सामान्य रूप से उसकी अनुपस्थिति में मूल निदेशक के सभी कार्यों को निष्पादित करने का हकदार होगा।

(vi) पक्षकारों में से प्रत्येक अपने पास उपलब्ध सभी अधिकारों और शक्तियों का अभ्यास करेगा (आम बैठक में अपने वोटों का अभ्यास करने सहित) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस खंड के अनुसार किसी भी पक्ष द्वारा निदेशकों की नियुक्ति और/या निष्कासन और प्रतिस्थापन के संबंध में किए गए प्रत्येक नामांकन को तुरंत प्रभावी किया जाए।

(vii) निदेशक बैठने की फीस के हकदार नहीं होंगे, लेकिन निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए सभी उचित वास्तविक लागतों और खर्चों, जैसे यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग और ऐसे अन्य उचित आकस्मिक खर्चों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे, जब तक कि पक्षों द्वारा आम बैठक में अन्यथा सहमति न हो।

(viii) पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि बोर्ड को इसके निष्पादन के पंद्रह (15) दिनों के भीतर खंड 9.1(ii) के अनुसार गठित किया जाएगा।

9.2 बोर्ड बैठकें: प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी उपलब्ध अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करेगा कि निदेशक बोर्ड बैठकों के संबंध में निम्नलिखित नियमों को अपनाएं:

(i) बोर्ड बैठकें कम से कम हर तीन (3) महीने में या बोर्ड के बहुमत द्वारा सहमति के अनुसार अधिक बार आयोजित की जाती हैं।

(ii) जब तक सभी निदेशकों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, चौदह (14) दिनों का लिखित नोटिस जिसमें बैठक का समय और स्थान निर्दिष्ट हो, प्रत्येक निदेशक को उसके पते पर दिया जाता है, जिसमें बैठक के एजेंडा को उचित विस्तार से तय किया जाता है और बैठक में चर्चा किए जाने वाले प्रासंगिक कागजात और बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों से संबंधित सभी प्रासंगिक डेटा और जानकारी संलग्न होती है।

(iii) उपर्युक्त (ii) में निर्धारित लिखित नोटिस प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर, एक निदेशक कंपनी को लिखित रूप में नोटिस देकर, एजेंडा में किसी अन्य मामले को शामिल करने या एजेंडा में किसी भी बदलाव का अनुरोध कर सकता है और कंपनी

निदेशकों से प्राप्त टिप्पणियों के अनुरूप संशोधित एजेंडा को बैठक की तिथि से कम से कम सात (7) दिन पहले प्रसारित करेगी।

(iv) किसी भी बैठक के लिए कोरम में निजी प्रमोटरों के निदेशकों में से कम से कम तीन (3) निदेशक और राज्य प्रमोटरों के निदेशकों में से दो (2) निदेशक शामिल होंगे।

(v) यदि बैठक के लिए निर्धारित समय के एक घंटे के भीतर उपर्युक्त (iv) में प्रदान किया गया कोई कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो बैठक किसी भी निदेशक के अनुरोध पर पहली बैठक के दो (2) दिन से पहले नहीं और चौदह (14) दिन के बाद नहीं की तारीख पर स्थगित हो जाएगी। ऐसी दूसरी बैठक में, एक तिहाई निदेशक कोरम का गठन करेंगे।

(vi) प्रत्येक निदेशक एक वोट डाल सकता है।

(vii) बोर्ड के निर्णय विधिवत बुलाई गई बैठक में साधारण बहुमत वोट के आधार पर लिए जाएंगे जिसमें कोरम उपस्थित हो बशर्ते कि खंड 9.4 में निर्धारित मामलों के संबंध में, प्रत्येक निजी प्रमोटर और प्रत्येक राज्य प्रमोटर की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

(viii) सचिव बैठक की तिथि से दस (10) दिनों के भीतर सभी निदेशकों (उस बैठक में उपस्थित वैकल्पिक सहित) को प्रत्येक बोर्ड बैठक के मसौदा कार्यवृत्त प्रसारित करेगा। उस बैठक में उपस्थित प्रत्येक निदेशक (या वैकल्पिक) मसौदा कार्यवृत्त प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर, सचिव को ऐसे कार्यवृत्त पर अपनी स्वीकृति या टिप्पणियां संवाद कर सकता है, जिसके विफल होने पर उसे ऐसे कार्यवृत्त को स्वीकृत किया हुआ माना जाएगा। कार्यवृत्त पर उस बैठक के बाद अगली बोर्ड बैठक में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिससे वे संबंधित हैं और इसमें निदेशकों में से किसी द्वारा सचिव को ऊपर उल्लिखित तरीके से सूचित की गई आपत्तियां या असहमति, यदि कोई हो, शामिल होंगी।

(ix) उपर्युक्त के रूप में विधिवत गठित बैठक के बदले और अधिनियम की धारा 292 के अधीन, बोर्ड का कोई भी प्रस्ताव विधिवत पारित माना जाएगा यदि प्रस्ताव आवश्यक डेटा और जानकारी के साथ सभी निदेशकों को लिखित रूप में प्रसारित किया गया है, और निदेशकों के आवश्यक बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित है; बशर्ते कि खंड 9.4 में उल्लिखित मामलों के संबंध में, प्रत्येक निजी प्रमोटर और प्रत्येक राज्य प्रमोटर की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

9.3 बोर्ड समितियाँ: बोर्ड ऐसी समितियों को नियुक्त कर सकता है और बोर्ड द्वारा निर्धारित शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है। ऐसी प्रत्येक समिति पर कम से कम एक (1) राज्य प्रमोटर निदेशक नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड ऐसी समितियों के कामकाज के संबंध में नियम बना सकता है। समिति के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे, सिवाय इसके कि खंड 9.4 में निर्धारित मामलों के संबंध में निजी प्रमोटरों और राज्य प्रमोटरों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

9.4 वे मामले जिनमें निजी प्रमोटर और राज्य प्रमोटर की सहमति आवश्यक हो: कंपनी निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेगी या कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक कि निजी प्रमोटरों और राज्य प्रमोटरों की लिखित सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है:

(क) तरलता प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए रु. 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक की कुल सीमा (ऐसी आलेख पर तब मौजूद किसी भी दायित्व के साथ) तक उधार लेना, ऋण लेना या कोई ऋण वहन करना। बशर्ते कि निम्नलिखित के लिए पूर्वोक्त सहमति की आवश्यकता नहीं होगी:

(i) वित्तपोषण समझौतों के अनुसार उधार लेना;

(ii) व्यवसाय के साधारण और सामान्य कोर्स में कोई गारंटी, क्षतिपूर्ति, निष्पादन बॉण्ड देना या कोई समान आकस्मिक दायित्व वहन करना;

(iii) प्रयोजनों के लिए और खंड 9.5 में निर्धारित सीमा तक उधार लेना।

(ख) प्रत्येक वित्त वर्ष में रु. 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) की कुल राशि से अधिक वित्तीय प्रभाव वाले कंपनी के महत्वपूर्ण उपक्रम या परिसंपत्तियों का निपटान।

(ग) खंड 9.7 में प्रदान किए गए को छोड़कर, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी, पूंजी संरचना और आगे की पूंजी का निर्गम में कोई बदलाव।

(घ) परियोजना समझौतों का अनुमोदन।

(ङ) कंपनी के व्यवसाय का काफी हद तक विस्तार या कमी।

(च) आईपीओ या कंपनी के शेयरों या प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और उसकी शर्तें।

(छ) कंपनी की प्रकृति में कोई बदलाव या ज़ापन और/या लेखों में कोई परिवर्तन या कंपनी के नाम या पंजीकृत कार्यालय में कोई बदलाव।

(ज) कंपनी का कोई भी समापन, परिसमापन या विघटन या कंपनी द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद या कंपनी की शेयर पूंजी में कोई कमी।

(झ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रदान किए गए के अलावा भूमि का कोई भी उपयोग।

(ञ) किसी अन्य कंपनी, साझेदारी या व्यवसाय में किसी भी रुचि का अधिग्रहण या निपटान करने के लिए कोई प्रस्ताव, या एक संयुक्त उद्यम या रणनीतिक गठबंधन में प्रवेश करना।

(ट) कंपनी द्वारा किसी भी ऋण का अनुदान (किसी भी अग्रिम भुगतान, नब्बे (90) दिनों तक की अवधि के लिए व्यापार क्रेडिट और प्राप्य खातों के अलावा); और

(ठ) इस समझौते के अनुसार के अलावा शेयरों का कोई भी हस्तांतरण।

पक्षकार कंपनी में अपनी संबंधित शेयरधारिता और बोर्ड पर नामित निदेशकों की सीमा तक, कंपनी को उपर्युक्त खंड 9.4 के प्रावधानों का पालन करने के लिए वोट करेंगे।

9.5 शेयरधारकों की बैठकें और संकल्प:

(i) जब तक बैठक में कोरम उपस्थित न हो, किसी भी आम बैठक में कोई व्यवसाय नहीं किया जाएगा। कोरम निजी प्रमोटरों और राज्य प्रमोटरों में से प्रत्येक का एक (1) प्रतिनिधि होगा। यदि बैठक के लिए निर्धारित समय के एक घंटे के भीतर कोई कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो बैठक निजी प्रमोटरों या राज्य प्रमोटरों में से किसी के अनुरोध पर पहली बैठक के तीन (3) दिन से पहले नहीं बल्कि चौदह (14) दिन बाद की तारीख पर स्थगित हो जाएगी और यदि ऐसी पुनर्आयोजित बैठक में कोई कोरम उपस्थित नहीं है तो ऐसी बैठक में उपस्थित शेयरधारक आवश्यक कोरम का गठन करेंगे।

(ii) लागू कानून के अधीन, शेयरधारकों के सभी प्रस्ताव शेयरधारकों की किसी भी बैठक में साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि खंड 9.4 में निर्धारित मामलों के संबंध में, निजी प्रमोटरों और राज्य प्रमोटरों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

(iii) बोर्ड का अध्यक्ष कंपनी की सभी आम बैठकों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

9.6 स्थानीय कार्मिक की स्थानीय सोर्सिंग और प्रशिक्षण:

(क) स्थानीय कार्मिकों का प्रशिक्षण: निजी प्रमोटर प्रतिभा विकसित करने और हवाईअड्डे का संचालन करने के लिए स्थानीय क्षमता पैदा करने के लिए उपयुक्त स्थानीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे।

(ख) स्थानीय सोर्सिंग: पक्षकार विशेष रूप से यहाँ अनुसूची 5 के पैराग्राफ 4(ग) और 5 में परिकल्पित लागत बचत को प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा स्थानीय स्रोतों से, जहाँ तक व्यावहारिक और साध्य हो, सेवाओं और सामग्रियों की खरीद को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, ।

9.7 जिन परिस्थितियों में साधारण बहुमत से अतिरिक्त पूंजी जुटाई जा सकती है:

(i) उस असंभावित स्थिति में जब कंपनी को परिचालन घाटे का सामना करना पड़ता है, जिसका वित्तपोषण व्यवसाय योजना में प्रदान नहीं किया गया है, बोर्ड कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले वित्तपोषण के संभावित साधनों पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर सकता है। पक्षों द्वारा यह सहमति है कि जहाँ तक संभव हो ऐसा वित्तपोषण पहले आंतरिक उपार्जन के माध्यम से और उसके बाद उधार के माध्यम से होगा। हालांकि, यदि अपर्याप्त आंतरिक उपार्जन होना चाहिए या उधार उचित शर्तों पर उपलब्ध नहीं हैं, तो बोर्ड, कवर न किए गए परिचालन घाटे को निधि देने के लिए उचित रूप से आवश्यक सीमा तक राइट्स इश्यू के माध्यम से आगे की इक्विटी के निर्गम को साधारण बहुमत से अनुमोदित कर सकता है।

(ii) यदि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद कानून में कोई बदलाव (सांविधिक बल रखने वाले किसी भी अधिनियमन, कानून, विनियमन, नियम, अधिसूचना, आदेश या निर्देश में किसी भी बदलाव सहित) के कारण परियोजना के दायरे में बदलाव की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पूंजीगत व्यय होता है, जिसका वित्तपोषण आकस्मिकताओं में या व्यवसाय योजना में कवर नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले वित्तपोषण के संभावित साधनों पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर सकता है। पक्षों द्वारा यह सहमति है कि जहाँ तक संभव हो ऐसा वित्तपोषण पहले उधार के माध्यम से होगा। हालांकि, यदि उधार उचित शर्तों पर उपलब्ध नहीं होना चाहिए, तो बोर्ड, ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए उचित रूप से आवश्यक सीमा तक राइट्स इश्यू के माध्यम से आगे की इक्विटी के निर्गम को साधारण बहुमत से अनुमोदित कर सकता है।

9.8 अप्रत्याशित घटनाएँ:

(क) यदि निजी प्रमोटरों के उचित नियंत्रण से परे किसी अप्रत्याशित घटना के कारण परियोजना वित्तीय रूप से या अन्यथा प्रभावित होता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

(i) पक्ष ऐसे जोखिम या लागतों को कम करने के लिए कार्रवाई के पाठ्यक्रम और वित्तपोषण के तरीके, यदि कोई आवश्यक हो, पर एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

(ii) ऐसी स्थिति में बोर्ड कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले वित्तपोषण के संभावित तरीके पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर सकता है।

(iii) वित्तपोषण के तरीके पर पक्षों के बीच समझौते की प्रतीक्षा करते हुए, बोर्ड, यदि ऐसा करना समीचीन है, तो रु. 25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ रुपये) की कुल सीमा (इस खंड 9.8 के उद्देश्य के लिए प्राप्त किसी भी मौजूदा ऋण के साथ) के अधीन उपर्युक्त घटना के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले ऐसे नियमों पर उधार या ऋण जुटा सकता है। पक्ष सहमत हैं कि ऐसे वित्तपोषण के लिए निजी प्रमोटर असुरक्षित अधीनस्थ ऋण दे सकते हैं।

(iv) यदि पक्षकार परस्पर सहमत होते हैं कि किसी भी उधार के बजाय या उसके अलावा, ऐसा वित्तपोषण या उसका कोई भी हिस्सा पक्षों द्वारा इक्विटी सदस्यता के माध्यम से होना चाहिए, तो निजी प्रमोटरों द्वारा प्रदान किया गया कोई भी अधीनस्थ ऋण इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है।

(ख) पक्षकार पहचानते हैं और सहमत हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम और लागत, जहाँ तक संभव हो, संबंधित तीसरे पक्षों द्वारा ग्रहण किए जाने और / या उचित रूप से बीमित किए जाने के लिए प्रेरित किए जाएंगे, ताकि ऐसे जोखिमों और लागतों के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध हो।

10. परियोजना कार्यान्वयन

10.1 परियोजना समझौते: पक्षकार पहचानते हैं कि परियोजना समझौते बोर्ड द्वारा चयनित पक्षों के साथ निष्पादित किए जाने हैं। यह पहचाना जाता है कि निजी प्रमोटरों का चयन, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर किया गया है कि निजी प्रमोटरों के पास परियोजना के विभिन्न घटकों को संभालने का अनुभव है। परिणामस्वरूप, यह आगे पहचाना जाता है कि यह निजी प्रमोटरों की अपेक्षा है कि वे और / या उनके सहयोगी परियोजना के कुछ घटकों के लिए कंपनी के साथ परियोजना समझौतों में प्रवेश करेंगे।

10.2 कार्यान्वयन: चूँकि निजी प्रमोटरों के पास परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक अनुभव, विशेषज्ञता और क्षमता है; कंपनी सीमेंस एजी और / या सीमेंस इंडिया लिमिटेड (जो इस खंड के उद्देश्य के लिए सीमेंस का एक सहयोगी माना जाता है), यूनिक ज्यूरिख और एल एंड टी के साथ उचित परियोजना समझौतों में प्रवेश करेगी। तदनुसार, निजी प्रमोटर उनमें से प्रत्येक द्वारा या संबंधित संबंधित सहयोगी द्वारा, उसके नियमों के तहत पूर्वोक्त संबंधित परियोजना समझौतों के उचित प्रदर्शन के माध्यम से परियोजना को लागू करने का उपक्रम करते हैं।

10.3 मौलिक सिद्धांत: पक्षकार सहमत हैं कि पूर्वोक्त परियोजना समझौतों में प्रवेश करना इसके बाद खंड 11.1 में निर्धारित मौलिक सिद्धांतों की पूर्ति के अधीन होगा।

10.4 निष्पादन प्रतिभूति: निजी प्रमोटरों ने पक्षों के बीच सहमत रूप में, केएसआईआईडीसी के पक्ष में एक निष्पादन प्रतिभूति प्रदान की है। ऐसी निष्पादन प्रतिभूति को वाणिज्यिक संचालन तिथि तक प्रभावी, वैध और विधिवत नवीकृत रखा जाएगा।

11. संबंधित पक्ष लेनदेन

11.1 संबंधित पक्ष लेनदेन:

(क) यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि निजी प्रमोटरों के किसी भी घटक या उनके सहयोगियों और कंपनी के बीच कोई भी लेनदेन, चाहे परियोजना समझौतों में प्रतिबिंबित हो या अन्यथा, आर्म्स लेंथ के आधार पर होगा।

(ख) परियोजना समझौतों के लिए निजी प्रमोटरों और उनके सहयोगियों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में, बोर्ड इसका मूल्यांकन करने के लिए एक आईसीई (ICE) नियुक्त करेगा। ऐसे परियोजना समझौते (i) बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होंगे; और (ii) ऐसे अनुबंधों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची 7 में उल्लिखित खरीद दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

11.2 हितों का टकराव: किसी पक्षकार का कोई भी नामित निदेशक ऐसे पक्ष या उसके सहयोगी से संबंधित किसी भी मामले में रुचि रखने वाला माना जाएगा जिस पर बोर्ड द्वारा चर्चा या निर्धारण किया जाना है। ऐसा इच्छुक निदेशक न तो उसमें बोर्ड की किसी भी कार्यवाही में भाग लेगा और न ही उस पर वोट देगा।

12. शेयरों का हस्तांतरण

12.1 बचत: इस खंड 12 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा कंपनी में किसी भी शेयर को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

12.2 [जानबूझकर खाली छोड़ा गया]

12.3 अनुमति प्राप्त हस्तांतरण:

(क) खंड 7.7 के अधीन, निजी प्रमोटर आपस में शेयर हस्तांतरित कर सकते हैं।

(ख) राज्य प्रमोटर आपस में शेयर हस्तांतरित कर सकते हैं।

(ग) खंड 7.7 के अधीन, निजी प्रमोटरों और राज्य प्रमोटरों में से किसी को भी किसी भी समय अपने किसी भी शेयर को अपने किसी एक या अधिक ऐसे सहयोगियों को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा जो हस्तांतरणकर्ता के दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हैं। राज्य प्रमोटरों को किसी भी समय अपने द्वारा रखे गए किसी भी शेयर को अपने एक या अधिक सहयोगियों (जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और किसी भी ऐसी संस्था को शामिल करेगा जो भारत सरकार या कर्नाटक सरकार के पूर्ण स्वामित्व में या नियंत्रित है) को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा जो हस्तांतरणकर्ता के दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हैं। बशर्ते कि हस्तांतरणकर्ता ने ऐसे हस्तांतरण से पहले यहाँ के प्रत्येक पक्ष को वितरित कर दिया हो (i) हस्तांतरिती द्वारा विधिवत निष्पादित अनुसूची 2ए में निर्धारित रूप में एक अनुपालन विलेख; (ii) हस्तांतरिती का यह लिखित समझौता कि इस स्थिति में कि हस्तांतरिती किसी भी निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटर का सहयोगी नहीं रहेगा, वह ऐसी घटना से पहले कंपनी में उसके द्वारा रखे गए सभी शेयरों को संबंधित निजी प्रमोटरों या राज्य प्रमोटरों, जैसा भी मामला हो, या संबंधित निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटरों के दूसरे सहयोगी (सहयोगियों) को, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित कर देगा; और (iii) संबंधित निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटर से अनुसूची 4 के रूप में काफी हद तक एक गारंटी जो हस्तांतरिती के दायित्वों के उचित प्रदर्शन और निर्वहन की गारंटी देती है।

(घ) खंड 7.7 के अधीन, निजी प्रमोटरों या राज्य प्रमोटरों के एक सहयोगी (जो इसके खंड 12.3(e) के अनुसरण में किसी भी शेयर का हस्तांतरिती है) को भी किसी भी समय अपने द्वारा रखे गए किसी भी शेयर को ऐसे पक्ष के दूसरे सहयोगी को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा जिसके शेयर हकदारी को वह रखता है, जो यहाँ हस्तांतरणकर्ता के दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। बशर्ते कि हस्तांतरणकर्ता ने ऐसे हस्तांतरण से पहले प्राप्त कर लिया हो (i) हस्तांतरिती द्वारा विधिवत निष्पादित अनुसूची 2ए में निर्धारित रूप में एक पालन विलेख, और (ii) हस्तांतरिती का यह लिखित समझौता कि

इस स्थिति में कि हस्तांतरिती निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटर का सहयोगी नहीं रहेगा, वह ऐसी घटना से पहले कंपनी में उसके द्वारा रखे गए सभी शेयरों को संबंधित निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटर, जैसा भी मामला हो, या संबंधित निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटरों के दूसरे सहयोगी (सहयोगियों) को, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित कर देगा; और (iii) संबंधित निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटर की मूल कंपनी से अनुसूची 4 के रूप में काफी हद तक एक गारंटी जो हस्तांतरिती के दायित्वों के उचित प्रदर्शन और निर्वहन की गारंटी देती है।

(ड) कोई पक्ष राजनीतिक जोखिमों (जैसे अधिग्रहण और राष्ट्रीयकरण) के खिलाफ परियोजना में अपने निवेश का बीमा कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निवेश से पर्याप्त वंचित होना पड़ेगा। पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि यदि और केवल यदि ऐसे बीमा कवर के अनुदान की यह शर्त है कि उपर्युक्त बीमित घटना के घटित होने की स्थिति में ऐसे पक्ष के शेयरों को प्रासंगिक बीमाकर्ता या उसके नामितों के तीसरे पक्ष के अधिकारों से मुक्त हस्तांतरित किया जाना चाहिए, तो ऐसा पक्ष, बीमा के तहत दावा करने की स्थिति में, अपने शेयरों को इस तरह से हस्तांतरित करने का हकदार होगा। जैसे ही कोई पक्ष ऐसा बीमा प्राप्त करता है, वह अन्य पक्षों को इसकी सूचना देगा, जब तक कि ऐसी बीमा पॉलिसी की शर्तों द्वारा अन्यथा वर्जित न हो।

12.4 अन्य हस्तांतरण: लागू लॉक-इन अवधि के बाद, यदि कोई हो, या उससे पहले यदि सभी पक्षों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की जाए, तो किसी पक्ष द्वारा शेयरों का कोई भी हस्तांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(क) यदि कोई पक्ष या उसका सहयोगी कंपनी में अपने कुछ या सभी शेयरों ("प्रस्तावित शेयर") को बेचने के लिए उत्सुक है, तो ऐसा पक्ष ("प्रस्तावक") अन्य सभी पक्षों को खरीद मूल्य ("खरीद मूल्य") के साथ प्रस्तावित शेयरों को बेचने की अपनी इच्छा के बारे में लिखित में ("बिक्री का नोटिस") सूचित करेगा।

(ख) अन्य पक्षों ("ऑफरियों") के पास बिक्री के नोटिस ("विकल्प अवधि") से तीस (30) दिनों की अवधि होगी, जिसमें खरीद मूल्य पर उनके संबंधित इक्विटी प्रतिशत या ऑफरियों के बीच सहमति के अनुसार किसी अन्य प्रतिशत के अनुपात में सभी (लेकिन किसी भी हिस्से को नहीं) प्रस्तावित शेयरों को खरीदने का अधिकार होगा ("विकल्प संख्या")। विकल्प अवधि के अंत से पहले, ऑफरी प्रस्तावक को अपनी इच्छा और उन शेयरों की संख्या के बारे में सूचित करेंगे जिन्हें वे खरीदने का प्रस्ताव करते हैं ("खरीद का नोटिस")।

(ग) यदि विकल्प अवधि की समाप्ति पर, प्रस्तावक को उन सभी प्रस्तावित शेयरों के लिए खरीद के नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं जो प्रासंगिक बिक्री के नोटिस का विषय हैं, तो प्रस्तावक विकल्प अवधि की समाप्ति से एक सौ अस्सी (180) दिनों के भीतर बिक्री के नोटिस में तुलना में कम अनुकूल कीमतों और नियमों और शर्तों पर किसी भी व्यक्ति को सभी (लेकिन किसी भी हिस्से को नहीं) प्रस्तावित शेयरों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

(घ) यदि प्रस्तावक को बिक्री के नोटिस में सभी प्रस्तावित शेयरों के लिए ऑफरियों से खरीद के नोटिस प्राप्त होते हैं, तो ऑफरी मूल्य का भुगतान करने और विकल्प अवधि की समाप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर बिक्री को पूरा करने के लिए बाध्य होंगे, जो विचाराधीन शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयर प्रमाण पत्र के वितरण के खिलाफ है, साथ ही शेयर हस्तांतरण विलेख, उनके हस्तांतरणकर्ताओं द्वारा विधिवत निष्पादित, और कंपनी द्वारा उनके हस्ताक्षर विधिवत सत्यापित हैं। प्रत्येक बिक्री का नोटिस और खरीद का नोटिस अपरिवर्तनीय होगा।

(ङ) यदि बिक्री के नोटिस का विषय बनने वाले सभी प्रस्तावित शेयरों के लिए उपर्युक्त अवधि के भीतर ऑफरियों से खरीद मूल्य प्राप्त नहीं होता है, तो प्रस्तावक ऐसे शेयरों से ऐसे व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होगा जैसे कि खरीद का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हो। यदि प्रस्तावक को बिक्री के नोटिस में निहित शेयरों से अधिक शेयरों के लिए खरीद के नोटिस प्राप्त होते हैं, तो प्रस्तावित शेयरों को खरीद के उनके प्रस्तावों के आनुपातिक रूप से ऑफरियों को बेचा जाएगा।

(च) यदि ऐसे बिक्री के लिए भारत में किसी प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो ऐसा कोई भी अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय को ऊपर निर्धारित समय सीमा में नहीं गिना जाएगा। पक्ष आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। यदि विकल्प अवधि की शुरुआत के नब्बे (90) दिनों के भीतर ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो प्रस्तावक ऊपर (ख) वर्णित तरीके से सभी (लेकिन किसी भी हिस्से को नहीं) प्रस्तावित शेयरों से निपटने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसे कि खरीद का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हो।

(छ) उपर्युक्त खंड 12.4(ग) के अनुसरण में किसी तीसरे पक्ष को कोई भी हस्तांतरण, अंतिम रूप से प्रभावी तभी होगा जब प्रस्तावक, हस्तांतरण होने से पहले, ऐसे तीसरे पक्ष को अनुसूची 2बी पर अनुपालन विलेख के रूप में लिखित रूप में स्पष्ट रूप से सहमत होने के लिए प्रेरित करता है ताकि इस समझौते के सभी नियमों और शर्तों से एक पक्ष के रूप में बाध्य हो सके।

(ज) इस खंड का अनुपालन न करने वाला कोई भी यत्तित (अटेम्प्टेड) बिक्री, हस्तांतरण या अन्य निपटान इस समझौते का उल्लंघन होगा और पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि उल्लंघन न करने वाला पक्ष अन्य द्वारा इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए, अपने अन्य अधिकारों और उपचारों पर पूर्वाग्रह के बिना, निषेधाज्ञा राहत का हकदार होगा।

(झ) स्पष्टता के लिए, इस समझौते में निहित शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों में से कोई भी लागू नहीं होगा (i) खंड 18 के तहत हस्तांतरण के लिए; और (ii) आईपीओ के बाद।

12.5 अन्य निवेशकों के शेयरों की बिक्री: अन्य निवेशक अपने शेयरों ("अन्य निवेशक शेयर") को निजी प्रमोटरों या उनके सहयोगियों को उनके बीच सहमत होने वाली शर्तों पर बेच सकते हैं। हालांकि, यदि निजी प्रमोटर या उनके सहयोगी अन्य निवेशक शेयरों का अधिग्रहण नहीं करते हैं, तो राज्य प्रमोटरों के पास उन्हें प्राप्त करने की पहली अस्वीकृति का अधिकार होगा और तदनुसार खंड 12.4 की प्रक्रियाएं लागू होंगी। यदि निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटर या उनके सहयोगी उपर्युक्त के रूप में अन्य निवेशक शेयरों का अधिग्रहण नहीं करते हैं, तो अन्य निवेशक शेयरों को किसी भी तीसरे पक्ष या पक्षों को बेचा जा सकता है जिन्होंने यहाँ संलग्न अनुसूची 2ग के रूप में एक अनुपालन विलेख निष्पादित किया है जो इसके नियमों से बंधे होने के लिए सहमत है।

12.6 हस्तांतरण की स्थिति में पक्षों के अधिकार और दायित्व: स्पष्टता के लिए, एक पक्षकार के इस समझौते के तहत अधिकार और दायित्व जिसके शेयरों को इसके नियमों के अनुसार और उसके अनुसार हस्तांतरित किया जाता है, ऐसे हस्तांतरण से पहले उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार और दायित्व के संबंध में, ऐसे हस्तांतरण पर समाप्त हो जाएंगे, निम्नलिखित के अधीन:

(क) किसी पक्ष द्वारा नामित कोई भी निदेशक जो शेयरधारक बनना बंद कर देता है बिना किसी दावे या मुआवजे या भुगतान के बोर्ड से इस्तीफा दे देगा,

(ख) खंड 21 के प्रावधान शेयरधारक बनना बंद करने वाले पक्ष सहित सभी पक्षों पर लागू होते रहेंगे।

13 लाभांश

कंपनी आम बैठक में लाभांश घोषित कर सकती है, लेकिन कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश की राशि से अधिक नहीं होगा। घोषणा की सिफारिश करते समय बोर्ड को

यातायात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हवाईअड्डे के विस्तार योजनाओं और प्रावधान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा।

14. आरक्षित निधि

कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 205 (2क) के तहत स्थापित आरक्षित निधि में प्रत्येक वर्ष स्थानांतरित किए जाने वाले लाभ की राशि अधिनियम की धारा 205 (2ए) और उसके तहत निर्धारित नियमों द्वारा आवश्यक राशि से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, यहाँ के पक्ष समय-समय पर और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करेंगे और उस तरीके को निर्धारित करेंगे जिसमें ऐसी आरक्षित निधियों का निवेश किया जाएगा।

15. लेखापरीक्षा और खाते

- **15.1 जीएएपी (GAAP):** पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी जीएएपी के अनुसार सही और सटीक खाते और रिकॉर्ड रखे।
- **15.2 पक्षकारों को जानकारी:** कंपनी पक्षकारों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगी:

(क) प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए जीएएपी के तहत कंपनी के लिए आवश्यक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण जितनी जल्दी हो सके व्यावहारिक हो, और उस वित्त वर्ष के अंत के बाद नवीनतम चार (4) महीनों के भीतर;

(ख) प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के अंत के बाद जितनी जल्दी हो सके व्यावहारिक हो, और नवीनतम दो (2) महीनों के भीतर प्रत्येक वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के कंपनी के अनऑडिटेड त्रैमासिक वित्तीय विवरण;

(ग) इस समझौते के खंड 13 के अनुसरण में किए जाने वाले कंपनी के किसी भी लाभांश वितरण के संबंध में प्रदान किए जाने वाले परियोजना से संबंधित सभी जानकारी;

(घ) कंपनी के किसी भी ऋणदाता को प्रदान किए जाने वाले परियोजना से संबंधित सभी जानकारी; और

(ङ) प्रासंगिक वर्ष के अंत के बाद की अवधि के दो (2) वर्षों के लिए या लागू कानून द्वारा आवश्यक के रूप में (इनमें से जो भी लंबा हो) पक्षों को कंपनी के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने की अनुमति देने के लिए प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारी।

- **15.3 पक्षकारों द्वारा निरीक्षण:** पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी प्रत्येक पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों को (ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा उपयुक्त गोपनीयता उपक्रम निष्पादित करने के अधीन) नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के सभी खातों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दे।

15.4 वित्तीय जानकारी: निजी प्रमोटर राज्य प्रमोटरों को सालाना अपनी वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट और लाभ और हानि खातों की प्रतियां प्रदान करेंगे, जो उनके लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित हों और उनके अंग्रेजी अनुवाद के साथ हों।

16. लिस्टिंग (LISTING)

16.1 प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO): पक्षकार सहमत हैं कि वे आईपीओ होने की संभावना पर इस समझौते की अवधि के दौरान एक उपयुक्त चरण में एक-दूसरे से परामर्श और चर्चा करेंगे।

16.2 लिस्टिंग: यदि पक्षकार ऐसा निर्धारित करते हैं और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर, कंपनी एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए कदम उठाएगी।

16.3 खर्च: आईपीओ या बिक्री के लिए प्रस्ताव या लिस्टिंग से सीधे संबंधित सभी खर्च, जैसे लीड मैनेजर को फीस का भुगतान, ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग, लिस्टिंग फीस, छपाई शुल्क, रजिस्ट्रार को देय फीस और अन्य संबंधित खर्च कंपनी द्वारा वहन और भुगतान किए जाएंगे।

17. अभ्यावेदन और वारंटी (REPRESENTATIONS AND WARRANTIES)

17.1 केएसआईआईडीसी के अभ्यावेदन और वारंटी: केएसआईआईडीसी पक्षों को प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि:

(क) कंपनी भारत के कानूनों के तहत विधिवत निगमित और वैध रूप से अस्तित्व में एक सीमित देयता कंपनी है और इस पर लागू सभी कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन किया है।

(ख) न तो इस समझौते या परियोजना समझौतों का निष्पादन और वितरण और न ही ऐसे समझौतों के नियमों का अनुपालन जापन और एसोसिएशन के लेखों का उल्लंघन करेगा।

(ग) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और कभी कोई सहायक कंपनी नहीं रही है।

(घ) कंपनी के नवीनतम वित्तीय विवरणों में बताए गए के अलावा, कंपनी के पास अपनी चुकता शेयर पूंजी और उसके निगमन के गुणों से विशेष रूप से उस पर लगाए गए दायित्वों या दायित्वों के अलावा कोई देनदारियां या दायित्व नहीं हैं।

(ङ) लिखित रूप में अन्यथा खुलासा किए जाने को छोड़कर, कंपनी ने ऐसे किसी भी समझौते या अन्य व्यवस्थाओं में प्रवेश नहीं किया है जो किसी भी देनदारियों या दायित्वों को बनाती हैं।

(च) कंपनी के खिलाफ किसी भी सरकारी एजेंसी, सरकारी विभाग, आयोग, बोर्ड, ब्यूरो या वास्तुकला के समक्ष कोई कार्रवाई, मुकदमे, कार्यवाही, आदेश, जांच या दावे लंबित या धमकी नहीं दी गई है।

(छ) अपने ज्ञान के सर्वोत्तम, सभी रिटर्न, गणना और भुगतान जो भारतीय कर उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा किए जाने चाहिए थे, विधिवत किए गए हैं और कर विधिवत काटा गया है या हिसाब लगाया गया है।

(ज) अपने ज्ञान के सर्वोत्तम, कंपनी ने किसी भी कानून या सरकारी नियम, विनियमन या आवश्यकताओं का उल्लंघन नहीं किया है।

(झ) इस समझौते की तारीख के अनुसार, अधिकृत शेयर पूंजी रु. 50,00,00,000 (पच्चीस करोड़ रुपये), रु. 10/- प्रत्येक के 5,00,00,000 (पांच करोड़) साधारण शेयरों में विभाजित है, जिनमें से 50,000 (पचास हजार) जारी किए गए और पूरी तरह से चुकता हैं और ऐसे सभी जारी किए गए शेयरों के स्वामित्व में हैं और जैसा कि खंड 7.2 में बताया गया है।

(ञ) बल में कोई समझौता या व्यवस्था नहीं है जो किसी साधारण शेयर या ऋण पूंजी (किसी भी विकल्प या पूर्व-खालीपन या रूपांतरण के अधिकार सहित) के आवंटन, जारी करने या हस्तांतरण या किसी व्यक्ति को आवंटन, जारी करने

या हस्तांतरण के अधिकार के अनुदान के लिए वर्तमान या भविष्य के आवंटन, जारी करने या हस्तांतरण प्रदान करती है।

- **17.2 निजी प्रमोटरों के अभ्यावेदन और वारंटी:** प्रत्येक निजी प्रमोटर राज्य प्रमोटरों और कंपनी को प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि:

(क) इस समझौते की तारीख के रूप में, यह परियोजना को शुरू करने के लिए अनुरोध प्रस्ताव में निर्धारित पात्रता मानदंडों का अनुपालन करना जारी रखता है, जिसमें न्यूनतम नेट वर्थ, वार्षिक टर्नओवर और नकद उपार्जन की आवश्यकताएं शामिल हैं।

(ख) इसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन या प्रदर्शन इसके किसी भी दायित्व का उल्लंघन या विरोध नहीं करता है।

(ग) इसके द्वारा राज्य प्रमोटरों को प्रदान की गई सभी जानकारी, डेटा और दस्तावेज सभी भौतिक मामलों में सच्चे और सही हैं।

- **17.3 पक्षों के अभ्यावेदन और वारंटी:** प्रत्येक पक्ष दूसरे को प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि:

(क) यह उनके निगमन या उत्पत्ति के देश के कानूनों के तहत विधिवत संगठित और वैध रूप से अस्तित्व में हैं और इसके व्यवसाय को जारी रखने के लिए सभी आवश्यक शक्ति और अधिकार हैं जैसा कि अब आयोजित किया जा रहा है।

(ख) यह समझौता इसके वैध, कानूनी रूप से बाध्यकारी और लागू करने योग्य दायित्व का गठन करता है।

(ग) यह ऐसे आगे के कार्य, दस्तावेज निष्पादित और वितरित करने के लिए ऐसे सभी अन्य कार्य करेगा, और आम तौर पर इस समझौते में परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकने वाले सभी अन्य कार्य करेगा।

(घ) इसने इस समझौते के निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन और इस समझौते में परिकल्पित लेनदेन को अधिकृत या अनुमति देने के लिए उन पर लागू होने वाली सभी आवश्यक कार्रवाई, कॉर्पोरेट या अन्यथा की है।

(ड) इसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, वितरण या प्रदर्शन नहीं करेगा: (i) इसके ज्ञापन या एसोसिएशन के लेखों का उल्लंघन या उल्लंघन का गठन करेगा या एएआई के मामले में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, जैसा भी मामला हो; (ii) इसके किसी दायित्व के उल्लंघन या उसके तहत डिफॉल्ट के साथ संघर्ष या गठन या (iii) इस पर लागू किसी भी कानून, विनियमन, प्रशासनिक आदेश या न्यायिक आदेश या इसके व्यवसाय या परिसंपत्तियों का उल्लंघन करता है।

(च) किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या वास्तुकला, घरेलू या विदेशी द्वारा या इसके समक्ष कोई कार्रवाई, मुकदमे, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है, जो इसकी किसी भी दायित्व को पूरा करने की क्षमता को भौतिक रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

17.4 प्रलेखन की प्राप्ति: निजी प्रमोटर सहमत हैं कि उन्होंने राज्य प्रमोटरों से उनके द्वारा अनुरोधित सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। पक्षकार पुष्टि करते हैं कि उन्होंने अपने स्वयं के निर्णय के आधार पर इस समझौते में प्रवेश करने का निर्णय लिया है।

18. अवधि और समाप्ति (TERM AND TERMINATION)

18.1 अवधि: यह समझौता इसके निष्पादन पर प्रभावी होगा और इस समझौते के नियमों के अनुसार समाप्त होने तक अपनी पूरी ताकत और प्रभाव में रहेगा।

18.2 दिवाला घटना और इसके परिणाम:

18.2.1 इस खण्ड 18 के प्रयोजनों के लिए, एक पक्षकार के संबंध में "दिवाला घटना" का अर्थ, निम्नलिखित में से एक या अधिक घटनाएं होंगी: (क) इसकी परिसंपत्तियों पर एक प्राप्तकर्ता या ट्रस्टी (डिबेंचर और सुरक्षा ट्रस्टियों को छोड़कर) नियुक्त किया गया है, और ऐसी नियुक्ति को अलग रखा गया है या वापस ले लिया गया है या ऐसी नियुक्ति के साथ (60) दिनों के भीतर ऐसे प्राप्तकर्ता या ट्रस्टी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो सकता है, या (ख) यदि यह विघटित या लिक्विडेटेड है; या (ग) इसके स्वैच्छिक समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है या (घ) इसके खिलाफ दायर किसी भी घुमावदार याचिका या दिवालियापन में एक लिक्विडेटर या अनंतिम लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है जिसकी नियुक्ति ऐसी नियुक्ति के साथ (60) दिनों के भीतर अलग नहीं की जाती है या रुके नहीं रहती है। किसी भी संदेह के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एएआई या इसकी संपत्ति

के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत भारत सरकार द्वारा किसी भी शक्तियों का प्रयोग, इसके पुनर्गठन तक सीमित नहीं है, दिवाला की घटना नहीं होगी।

18.2.2 (क) यदि कोई निजी प्रमोटर दिवाला घटना से पीड़ित है ("प्रभावित पक्ष") और प्रासंगिक अदालत या न्यायिक प्राधिकरण की मंजूरी (यदि कोई आवश्यक है) के अधीन, अन्य निजी प्रमोटर नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर या तो (i) प्रभावित पक्ष और उसके सहयोगियों द्वारा रखे गए शेयरों का अधिग्रहण करेंगे या (ii) एक तीसरे पक्ष की पहचान करेंगे, ऐसा पक्ष राज्य प्रमोटरों के लिए उचित रूप से स्वीकार्य हो, ऐसे शेयरों का अधिग्रहण करने के इच्छुक बशर्ते कि यदि राज्य प्रमोटर तीस (30) दिनों के भीतर अनुमोदन प्रदान नहीं करते हैं या ऐसे प्रस्तावित तीसरे पक्ष को अस्वीकार कर देते हैं, तो प्रस्तावित तीसरे पक्ष को अनुमोदित माना जाएगा। ऐसे शेयरों के लिए खरीद मूल्य उचित बाजार मूल्य होगा। प्रभावित पक्ष इसके द्वारा सहमत है कि यदि यह दिवाला घटना से पीड़ित है तो यह इस खंड 18.2.2 द्वारा परिकल्पित तरीके से अपने शेयरों को बेचने के लिए बाध्य होगा।

(ख) इस घटना में कि अन्य निजी प्रमोटर ऐसे शेयरों का अधिग्रहण नहीं करने का चुनाव करते हैं या ऐसे शेयरों का अधिग्रहण करने के इच्छुक तीसरे पक्ष की पहचान करने में विफल रहते हैं, राज्य प्रमोटर यह मांग करने के हकदार होंगे कि ऐसे शेयरों को उचित बाजार मूल्य पर राज्य प्रमोटरों या राज्य प्रमोटरों द्वारा चयनित किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को बेचा जाए, और प्रभावित पक्ष और उसके सहयोगियों को पूर्वोक्त के रूप में समान बेचने के लिए बाध्य होना होगा।

18.2.3 (क) यदि कोई राज्य प्रमोटर दिवाला घटना से पीड़ित है ("राज्य प्रभावित पक्ष") और प्रासंगिक अदालत या न्यायिक प्राधिकरण की मंजूरी (यदि कोई आवश्यक है) के अधीन, अन्य राज्य प्रमोटर नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर या तो (i) कंपनी में राज्य प्रभावित पक्ष और उसके सहयोगियों द्वारा रखे गए शेयरों का अधिग्रहण करेंगे या (ii) ऐसे शेयरों का अधिग्रहण करने के इच्छुक तीसरे पक्ष की पहचान करेंगे। ऐसे शेयरों के लिए खरीद मूल्य उचित बाजार मूल्य होगा। राज्य प्रभावित पक्ष इसके द्वारा सहमत है कि यदि यह दिवाला घटना से पीड़ित है तो यह इस खंड 18.2.3 द्वारा परिकल्पित तरीके से अपने शेयरों को बेचने के लिए बाध्य होगा।

(ख) इस घटना में कि अन्य राज्य प्रमोटर ऐसे शेयरों का अधिग्रहण नहीं करने का चुनाव करते हैं या ऐसे शेयरों का अधिग्रहण करने के इच्छुक तीसरे पक्ष की पहचान करने में विफल रहते हैं, निजी प्रमोटर यह मांग करने के हकदार होंगे कि ऐसे शेयरों को उचित बाजार मूल्य पर निजी प्रमोटरों या निजी प्रमोटरों द्वारा चयनित किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को बेचा जाए, और राज्य प्रभावित पक्ष और उसके सहयोगियों को पूर्वोक्त के रूप में समान बेचने के लिए बाध्य होना होगा।

18.3 निजी प्रमोटर सामग्री उल्लंघन और इसके परिणाम:

(क) यदि कोई निजी प्रमोटर इस समझौते के सामग्री उल्लंघन की स्थिति में है ("डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर") और इसे तुरंत सुधारने में विफल रहता है, तो कोई भी अन्य पक्ष ऐसे डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर पर एक नोटिस (अन्य पक्षों में से प्रत्येक को प्रतियों के साथ) सेवा कर सकता है जिसमें ऐसे नोटिस की सेवा के तीस (30) दिनों के भीतर ऐसे सामग्री उल्लंघन के सुधार की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा सामग्री उल्लंघन ठीक नहीं किया जाता है तो अन्य गैर-डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटरों को साठ (60) दिनों की आगे की अवधि के भीतर, या तो (i) डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर और उसके सहयोगियों के शेयरों का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा या (ii) राज्य प्रमोटरों के लिए उचित रूप से स्वीकार्य तीसरे पक्ष की पहचान करने का अधिकार होगा, जो ऐसे शेयरों का अधिग्रहण करने के इच्छुक हैं। डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर और उसके सहयोगियों को पूर्वोक्त के रूप में समान बेचने के लिए बाध्य होना होगा। ऐसे शेयरों की कीमत (i) सममूल्य और (ii) उचित बाजार मूल्य, से कम होगी।

(ख) इस घटना में कि गैर-डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर शेयरों का अधिग्रहण नहीं करने का चुनाव करते हैं या किसी तीसरे पक्ष की पहचान करने में विफल रहते हैं, राज्य प्रमोटर निम्नलिखित अधिकारों में से सभी या किसी एक या अधिक का प्रयोग करने के हकदार होंगे:

(i) यह मांग करना कि डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर अपने और अपने सहयोगियों द्वारा रखे गए सभी शेयरों को राज्य प्रमोटरों या राज्य प्रमोटरों द्वारा चयनित किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को हस्तांतरित करे, हस्तांतरण की तिथि पर, सममूल्य के पचास प्रतिशत (50%) या उचित बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत (50%) पर, जो भी कम हो, और डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर और उसके सहयोगियों को पूर्वोक्त के रूप में समान बेचने के लिए बाध्य होना होगा;

(ii) यह मांग करना कि कोई भी या सभी गैर-डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर अपने / उनके और अपने / उनके संबंधित सहयोगियों द्वारा रखे गए सभी शेयरों को राज्य प्रमोटरों या राज्य प्रमोटरों द्वारा चयनित किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को हस्तांतरित करें, हस्तांतरण की तिथि पर, सममूल्य के पचहत्तर प्रतिशत (75%) या उचित बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत (75%) पर, जो भी कम हो, और ऐसे निजी प्रमोटर और उसके सहयोगियों को पूर्वोक्त के रूप में समान बेचने के लिए बाध्य होना होगा;

(iii) यह मांग करना कि कंपनी डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर या गैर-डिफॉल्टिंग निजी प्रमोटर, जिनके शेयरों को उप-खंड (बी)(i) और (ii) ऊपर के तहत हस्तांतरित किया गया है, और/या इसके सहयोगी के किसी भी प्रोजेक्ट समझौते को समाप्त कर दे।

18.4 राज्य प्रमोटर सामग्री उल्लंघन और इसके परिणाम:

(क) यदि कोई राज्य प्रमोटर इस समझौते के सामग्री उल्लंघन में है ("डिफॉल्टिंग राज्य प्रमोटर") और इसे तुरंत सुधारने में विफल रहता है, तो कोई भी अन्य पक्ष ऐसे डिफॉल्टिंग राज्य प्रमोटर पर एक नोटिस (अन्य पक्षों में से प्रत्येक को प्रतियों के साथ) सेवा कर सकता है जिसमें इसे ऐसे नोटिस की सेवा के तीस (30) दिनों के भीतर ऐसे सामग्री उल्लंघन को सुधारने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा डिफॉल्टिंग राज्य प्रमोटर इसमें विफल रहता है, तो अन्य गैर-डिफॉल्टिंग राज्य प्रमोटर साठ (60) दिनों की आगे की अवधि के भीतर, ऐसे डिफॉल्टिंग राज्य प्रमोटर और उसके सहयोगियों की कंपनी में संपूर्ण शेयरधारिता हित का अधिग्रहण करेगा।

(ख) इस घटना में कि गैर-डिफॉल्टिंग राज्य प्रमोटर ऐसा करने में विफल रहता है, एक निजी प्रमोटर राज्य प्रमोटरों से यह मांग करने का हकदार होगा कि:

(i) उचित बाजार मूल्य या सममूल्य पर ऐसे निजी प्रमोटर और उसके सहयोगियों द्वारा रखे गए सभी शेयरों को खरीदें, जो भी अधिक हो;

(ii) वित्तपोषण समझौतों के तहत कंपनी के ऋणदाताओं को इसके द्वारा किए गए किसी भी बकाया दायित्वों से ऐसे निजी प्रमोटर को राहत दें;

(iii) यहाँ के खंड 9.8 के संदर्भ में कंपनी को ऐसे निजी प्रमोटर द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए किसी भी उप-समर्थित ऋण की प्रतिपूर्ति करें; और

(iv) खंड 9.4(क) के अधीन, कंपनी द्वारा किए गए किसी भी उधार के संबंध में कंपनी के किसी भी ऋणदाता को ऐसे निजी प्रोमोटर द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति करें, और यह कि राज्य प्रोमोटर ऐसे उधार के संबंध में किसी भी बकाया गारंटी से ऐसे निजी प्रोमोटर को राहत दें।

18.5 समाप्ति के परिणाम: खंड 3.2 या इस खंड 18 के प्रावधानों के अनुसरण में इस समझौते की कोई भी समाप्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के होगी:

(क) किसी भी अर्जित दायित्वों और कार्रवाई या उपाय के किसी भी अधिकार के लिए जो ऐसी समाप्ति से पहले किसी भी पक्ष को अर्जित हो सकता है;

(ख) खंड 21 के प्रावधान उस पक्ष सहित सभी पक्षों पर लागू होते रहेंगे जिनके खिलाफ समाप्ति के प्रावधान लागू किए जाते हैं।

18.6 समझौते से बंधे रहने वाले निरंतर पक्ष: स्पष्टता के लिए (i) उस पक्षकार के अधिकार और दायित्व जिसके शेषों को इस खंड 18 के तहत हस्तांतरित किया गया है, ऐसे हस्तांतरण से पहले अर्जित अधिकारों और दायित्वों के संबंध में, ऐसे हस्तांतरण पर समाप्त हो जाएंगे और (ii) अन्य सभी पक्षकार इस समझौते से बाध्य रहना जारी रखेंगे।

18.7 परियोजना समझौतों में प्रावधानों को सक्षम करने में पक्षकार निगमित हैं: कंपनी और पक्षकार अपने इरादे को रिकॉर्ड करते हैं कि वे खंड 18.4(बी)(iii) के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निजी प्रोमोटरों/उनके संबंधित सहयोगियों के साथ परियोजना समझौतों में उपयुक्त सक्षम प्रावधानों को शामिल करना चाहेंगे।

18.8 कार्यान्वयन: पक्षकार सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि उनमें से प्रत्येक इस खंड के प्रावधानों को लागू करने और पूर्ण प्रभाव देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

18.9 विशेष उपाय: पक्षकार सहमत हैं कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय इस समझौते से बाहर या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति देनदारियों के लिए पक्षों के एकमात्र और विशेष उपाय होंगे।

18.10 परिणामी हानि के लिए देयता: इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत के बावजूद, किसी भी स्थिति में कोई भी पक्षकार, उसके अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट किसी भी अन्य पक्षकार के प्रति (अनुबंध के उल्लंघन, क्षतिपूर्ति, वारंटी या टोर्ट के आधार पर, लापरवाही और सख्त या पूर्ण देयता, या वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन या अन्यथा) किसी भी परिणामी हानि के संबंध में इस समझौते से बाहर या इसके संबंध

में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जो ऐसे अन्य पक्ष द्वारा भुगता गया हो। प्रत्येक पक्ष ऐसे परिणामी हानि के संबंध में किसी अन्य पक्ष, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों पर मुकदमा न चलाने का वचन देता है।

इस प्रावधान के उद्देश्यों के लिए, "परिणामी हानि" का अर्थ ऐसे उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कोई भी अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि (उत्पादन की हानि, लाभ की हानि, राजस्व की हानि, अनुबंध की हानि, सद्भावना की हानि, अन्य समझौतों के तहत देयता या तीसरे पक्षों के प्रति देयता सहित) है और चाहे उल्लंघन करने वाले पक्ष को पता हो या नहीं, या उसे पता होना चाहिए था, कि ऐसा अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने की संभावना होगी और इसमें समय-समय पर आहत पक्ष के ऋणदाताओं या लेनदारों को किसी भी राशि (या किसी भी तेजी से) का भुगतान या पुनर्भुगतान शामिल है, लेकिन उत्तरदायी पक्ष, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों की लापरवाही के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु या व्यक्तिगत चोट को छोड़कर।

19. शेयरधारकों का समझौता प्रबल होना (SHAREHOLDERS' AGREEMENT TO PREVAIL)

19.1 ज्ञापन और लेख: पक्षकार सहमत हैं कि कंपनी के ज्ञापन और लेख कानूनी रूप से स्वीकार्य सीमा तक इस समझौते के प्रावधानों को शामिल करेंगे। तदनुसार, पक्षकार यहाँ के साथ (60) दिनों की अवधि के भीतर, पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ज्ञापन और लेख में किए जाने वाले संशोधनों पर सहमत होंगे। पक्षकार कंपनी को ऐसे संशोधित ज्ञापन और लेख को अपनाने का कारण बनेंगे।

19.2 पक्षों के संबंध में सर्वोच्चता: इस सीमा तक कि इस समझौते का कोई भी प्रावधान कंपनी के लेखों के किसी भी प्रावधान के साथ संघर्ष करता है, तो लागू कानून के अधीन इस समझौते के प्रावधान यहाँ के पक्षों के बीच प्रबल होंगे।

20. असाइनमेंट (ASSIGNMENT)

अन्य पक्षकारों की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई भी पक्षकार यहाँ अपने किसी भी संबंधित अधिकार या दायित्व को असाइन नहीं कर सकता है।

21. गोपनीयता, गैर-प्रकटीकरण और गुप्तता (CONFIDENTIALITY, NON-DISCLOSURE & SECRECY)

21.1 सूचना गोपनीयता: सभी पक्षकार स्वीकार करते हैं कि एक घटक द्वारा दूसरे को या कंपनी को प्रदान की जाने वाली कोई भी और सभी व्यावसायिक और तकनीकी जानकारी और डेटा को गोपनीय माना जाएगा और ऐसी जानकारी और डेटा प्राप्त करने वाला घटक, किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारी और डेटा को किसी भी व्यक्ति फर्म को प्रकट नहीं करेगा या प्रासंगिक अन्य घटक की पूर्व सहमति के बिना इस समझौते के अनुसरण के संबंध में किसी भी अन्य तरीके से उपयोग नहीं करेगा। घटक कंपनी को किसी भी घटक द्वारा इसे प्रदान की गई जानकारी और डेटा के संबंध में गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण के इस दायित्व से बंधे होने का कारण बनेंगे।

21.2 अपवाद: गोपनीयता की ओर दायित्व, हालांकि, बाहर रखेगा: (i) ऐसी जानकारी और डेटा जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में हैं या जिन्हें अदालत के अनुरोध पर कानून द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता है, (ii) किसी तीसरे पक्ष को अपने शेयरों के किसी भी प्रस्तावित हस्तांतरण के संबंध में किसी पक्ष द्वारा कोई प्रकटीकरण (ऐसे तीसरे पक्ष की उपयुक्त गोपनीयता उपक्रम प्राप्त करने के अधीन); (iii) सहमति, परमिट और अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार और/या कर्नाटक सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण को राज्य प्रमोटरों और निजी प्रमोटरों द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रकटीकरण; और (iv) परियोजना के वित्तपोषण के उद्देश्यों के लिए संभावित फाइनेंसरों या बैंकों या निवेश बैंकों को कोई भी प्रकटीकरण।

21.3 अवधि: इस खंड 21 के दायित्व 5 (पांच) वर्षों के लिए इस समझौते की समाप्ति से बचे रहेंगे।

21.4 बाध्यकारी प्रकृति: यहाँ का प्रत्येक पक्षकार यह वचन देता है कि यह और इसके सहयोगी और इसके नामित और ऐसे पक्ष के कर्मचारी और ऐसे सहयोगी का प्रत्येक कर्मचारी और नोटिस, समय की बात में सीमा के बिना, चाहे यहाँ की शर्तों के दौरान या इस समझौते की समाप्ति के बाद, किसी तीसरे पक्ष को (जैसा कि इस तरह के पक्ष के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने और यहाँ अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है या कानून द्वारा आवश्यक हो सकता है) प्रकट या संवाद नहीं करेगा या कंपनी के निजी मामलों के बारे में किसी भी जानकारी का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य पक्ष या इसके सहयोगियों या नामितों का उपयोग नहीं करेगा।

21.5 सार्वजनिक घोषणा: अन्य पक्षकारों के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना इस समझौते के विषय वस्तु या यहाँ परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में कोई सार्वजनिक घोषणा या प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा (जैसा कि कानून या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो सकता है, ऐसी स्थिति में घोषणा का दायरा उन मामलों तक सीमित होगा जिन्हें प्रकट करने की आवश्यकता है और प्रकटीकरण पक्ष, यदि व्यावहारिक हो, तो ऐसी घोषणा की शर्तों और समय पर अन्य पक्षों से परामर्श करेगा)।

22. पक्षकारों का रिश्ता

यहाँ कोई भी विषयवस्तु यहाँ के पक्षों के बीच साझेदारी का गठन नहीं करेगी।

23. संपूर्ण समझौता

यह समझौता और संलग्न अनुसूचियां यहाँ के विषय वस्तु के संबंध में यहाँ के पक्षों के बीच संपूर्ण समझौते का गठन करती हैं और सभी पूर्व संचार, उपक्रमों और समझौतों का स्थान लेती हैं।

24. भिन्नताएँ

यह समझौता किसी भी तरह से संशोधित, भिन्न, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि एक लिखित दस्तावेज द्वारा जो विशेष रूप से इस समझौते का संदर्भ देता हो और यहाँ के पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित हो।

25. छूट

25.1 सहमति द्वारा छूट: इस समझौते के किसी भी नियम या प्रावधान की छूट या इसके तहत दी गई सहमति तभी प्रभावी होगी जब वह लिखित रूप में दी गई हो और छूट देने वाले या सहमति देने वाले पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित हो, और केवल उसी उदाहरण और उद्देश्य के लिए जिसके लिए यह दी गई है। इस समझौते के किसी भी प्रावधान के किसी भी उल्लंघन को पक्षों की स्पष्ट लिखित सहमति के अलावा माफ या डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा।

25.2 असफलता या देरी: किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग में किसी भी पक्ष की ओर से कोई असफलता या देरी उसके लिए छूट के रूप में काम नहीं करेगी, न ही ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई भी एकल या आंशिक प्रयोग किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग को रोकेगा।

25.3 संचयी अधिकार: यहाँ प्रदान किए गए अधिकार और उपाय कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या उपाय के साथ संचयी हैं और अनन्य नहीं हैं।

25.4 संप्रभु उन्मुक्ति (Sovereign Immunity): प्रत्येक राज्य प्रमोटर इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(क) सहमत है कि इसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन निजी और व्यावसायिक कृत्यों का गठन करता है न कि सार्वजनिक या सरकारी कृत्यों का।

(ख) सहमत है कि यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा इसके या इसकी परिसंपत्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो ऐसी कार्यवाही, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से कोई भी उन्मुक्ति, संप्रभु या अन्यथा, इसके द्वारा या इसके स्वयं की ओर से या इसकी किसी भी संपत्ति के संबंध में दावा नहीं की जाएगी।

(ग) संप्रभुता या अन्यथा के ऐसे किसी भी अधिकार को छोड़ता है जो इसके पास अब है या भविष्य में किसी भी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हो सकता है और / या आनंद ले सकता है जो इस समझौते के तहत या इसके संबंध में लाई गई है।

26. अमान्य रूप (INVALIDITY)

यदि इस समझौते का कोई भी प्रावधान किसी भी क्षेत्राधिकार के कानून के तहत किसी भी संबंध में अमान्य, अवैध या लागू करने योग्य नहीं है, तो किसी भी अन्य प्रावधान के उस क्षेत्राधिकार के कानून के तहत वैधता, वैधता और प्रयोज्यता किसी भी तरह से प्रभावित या क्षीण नहीं होगी।

27. नोटिस

27.1 विवरण: इस समझौते द्वारा परिकल्पित मामलों के तहत या उनके संबंध में दिया गया या बनाया गया कोई भी नोटिस, अनुरोध, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाएगा या पंजीकृत डाक पावती द्वारा भेजा जाएगा या फैक्स द्वारा या कूरियर द्वारा भेजा जाएगा।

- **KSIIIDC के मामले में:** MSIL House, # 36, Cunningham Road, Bangalore-560 052 | फ़ैक्स #: (+91-80) 225 5740 | ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक
- **AAI के मामले में:** Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi - 110 003 | फ़ैक्स #: (+91-11) 463 2990 | ध्यानार्थ: अध्यक्ष
- **BIAL के मामले में:** "Transport House", KH Road, Shanthinagar, Bangalore - 560 027 | फ़ैक्स #: 22400330 | ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक
- **Siemens के मामले में:** Freyeslebenstr 1, D-91058, Erlangen, Germany | फ़ैक्स #: (+49-9131) 187356 | ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक
- **Unique Zurich Airport Limited के मामले में:** Zurich Airport Limited, PO Box, CH-8058 Zurich, Zurich-Airport, Switzerland | फ़ैक्स #: (+41) 1816 7999 | ध्यानार्थ: सीईओ और अध्यक्ष
- **L&T के मामले में:** ECC Division, Mount-Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai - 600 089 | फ़ैक्स #: (+49-44) 249 3317
ध्यानार्थ: श्री के.वी. रंगास्वामी, कार्यकारी उपाध्यक्ष

और नोटिस विधिवत दिए गए माने जाएंगे:

(क) यदि व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाए, तो प्रासंगिक पक्ष के पते पर डिलीवरी पर;

(ख) यदि पंजीकृत डाक पावती द्वारा भेजा जाए तो डाक में भेजने के सात (7) दिन बाद;

(ग) यदि प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता से इस पुष्टि की रसीद पर फ़ैक्स द्वारा भेजा जाए कि फ़ैक्स प्राप्त हो गया है;

(घ) यदि प्रेषण की तारीख के चार (4) दिन बाद कूरियर द्वारा भेजा जाए।

27.2 पते में परिवर्तन: एक पक्षकार खंड 27.1 के उद्देश्यों के लिए अपने नाम, प्रासंगिक पते, पते या फ़ैक्स नंबर में परिवर्तन के बारे में अन्य पक्षों को सूचित कर सकता है।

28. लागू कानून

28.1 भारतीय कानून: इस समझौते को भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार समझा और लागू किया जाएगा।

28.2 क्षेत्राधिकार: खंड 29 के अधीन, बेंगलोर की अदालतें किसी भी अंतरिम राहत के अनुदान और किसी भी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए क्षेत्राधिकार रखती हैं।

29. मध्यस्थता

29.1 बातचीत और सुलह: यदि इस समझौते के संबंध में या इसके संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद, अंतर, दावा या प्रश्न उठता है, तो यहाँ के पक्ष अपने बीच उक्त विवादों या मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने प्रयासों का उपयोग करेंगे।

29.2 मध्यस्थ को संदर्भ: इस समझौते के संबंध में या इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, अंतर, दावे, प्रश्न और विवाद जिन्हें पक्ष एक पक्ष द्वारा दूसरे (अन्य) को यह सूचना देने के साथ (60) दिनों (या ऐसी लंबी अवधि के दौरान जिसे पक्ष सहमत हो सकते हैं) के भीतर अपने बीच सुलझाने में असमर्थ हैं कि इस खंड 29.2 के उद्देश्य के लिए एक विवाद मौजूद है, अंततः अंतरराष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स, पेरिस के सुलह और मध्यस्थता के नियमों ("नियम") के तहत नियमों के अनुसार नियुक्त एक या अधिक मध्यस्थों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

29.3 विविध: मध्यस्थता का स्थान बेंगलोर, भारत होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्चों का भुगतान करेगा और लागत के लिए अंतिम दायित्व पंचाट पुरस्कार के नियमों में होगा। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष या किसी भी पक्ष के किसी भी सहयोगी का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट, या सलाहकार या वकील नहीं होगा, या किसी भी तरह से प्रमोटरों, भागीदारों या लाभार्थियों से संबंधित या निकट से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

29.4 निर्णय / पंचाट: इस खंड 29 के अनुसरण में नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। पक्ष सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी भी अदालत द्वारा ऐसे पंचाट की अपील या किसी भी समीक्षा के किसी भी अधिकार को छोड़ देते हैं जहाँ तक ऐसा त्याग वैध रूप से किया जा सकता है। पक्ष सहमत हैं कि दिया गया कोई भी मध्यस्थता पंचाट पक्षों द्वारा प्रासंगिक पक्ष की संपत्ति के खिलाफ लागू किया जा सकता है, जहाँ भी वे संपत्ति स्थित हैं या पाई

जा सकती हैं, और किसी भी मध्यस्थता पंचाट पर निर्णय (जहाँ भी आवश्यक हो) इसके सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी भी अदालत द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्ष मध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए ऐसी किसी भी अदालत के क्षेत्राधिकार के प्रति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं।

30. प्रतियां

यह समझौता छह (6) प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक प्रति रखी जाएगी जिनमें से प्रत्येक मूल का गठन करेगी लेकिन जिनमें से सभी एक साथ ली जाने पर एक ही समझौता बनेंगी।

[शेष पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया]

अनुसूची 1

बीआईएएल का विवरण

1. पंजीकृत संख्या (Registered Number): CIN-U4520315A2001PLCO28418
2. निगमन की तिथि (Date of Incorporation): 5 जनवरी, 2001
3. निगमन का स्थान (Place of Incorporation): बेंगलोर, कर्नाटक, भारत
4. पंजीकृत कार्यालय (Registered Office): एमएसआईएल हाउस, # 36, कनिंघम रोड, बेंगलोर - 560 052, भारत
5. व्यवसाय की प्रकृति (Nature of Business): नॉन-रीकोर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के आधार पर हवाईअड्डा परियोजना के विकास, निर्माण और संचालन को बढ़ावा देना और शुरू करना।
6. प्रथम निदेशक (First Directors):
 - श्री एन. आर. नारायण मूर्ति
 - श्री राजीव चंद्रशेखर
 - श्री बी. के. दास

7. मौजूदा निदेशक (Existing Directors):

1. श्री एन.आर. नारायण मूर्ति
2. श्री राजीव चंद्रशेखर
3. सुश्री टेरेसा भट्टाचार्य
4. श्री बी.के. दास
5. श्री के.वी. कामथ
6. श्री सी.के. नीलकंठा राज
7. श्री एस. कृष्णा कुमार
8. डॉ. के. सिद्धाप्पा
9. श्री के. जयराम

अनुसूची 2क

किसी सहयोगी (Affiliate) द्वारा अभिदान की स्थिति में, अथवा निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटर द्वारा किसी सहयोगी को शेयरों के अंतरण की स्थिति में, अथवा निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटर के किसी सहयोगी द्वारा निजी प्रमोटर या राज्य प्रमोटर के किसी अन्य सहयोगी को शेयरों के अंतरण की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले अनुपालन विलेख (Deed of Adherence) का प्रारूप

यह अनुपालन विलेख • को, • के कानूनों के अंतर्गत निगमित तथा • में अपना प्रधान कार्यालय रखने वाली एक कंपनी ("XYZ"); तथा

[वह प्रमोटर जिसका सहयोगी शेयरों का अभिदान या अधिग्रहण कर रहा है तथा अन्य सभी पक्षकार] ("अन्य पक्षकार") के बीच निष्पादित किया गया है;

जबकि निजी प्रमोटर और राज्य प्रमोटर ने हवाईअड्डे से संबंधित एक संयुक्त उद्यम के अंतर्गत अपने पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में • को एक शेयरधारक समझौता ("SHA") किया है, और निजी प्रमोटर तथा राज्य प्रमोटर ने इस प्रयोजन से बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") में भागीदारी की है;

जबकि [निजी/राज्य]* प्रमोटर ने प्रस्ताव किया है कि उसका सहयोगी XYZ, SHA के खंड [7.7(i)][12.3]*• के अनुसरण में • इक्विटी शेयरों का [अभिदान करे] [अधिग्रहण करे]*, और जिसके अनुसरण में XYZ के लिए उक्त शेयरों के [अभिदान] [अंतरण]* की पूर्व-शर्त के रूप में एक अनुपालन विलेख निष्पादित करना आवश्यक है; तथा

जबकि उपर्युक्त [अभिदान] [अंतरण]* के पश्चात XYZ कंपनी में • शेयर धारण करेगा और SHA की शर्तों के प्रति अपना अनुपालन अभिलिखित करना चाहता है;

अतः अब, यह अनुपालन विलेख निम्नानुसार साक्ष्यांकित करता है:

1. XYZ एतद्वारा पुष्टि करता है कि उसे SHA की एक प्रति उपलब्ध कराई गई है और एतद्वारा अन्य पक्षकारों के साथ यह वचन देता है कि वह SHA के सभी नियमों एवं शर्तों से बाध्य होगा तथा उनका पालन एवं निष्पादन करेगा, मानो वह उसका एक पक्षकार हो, उस सीमा तक जहाँ तक वे [अंतरणकर्ता पक्षकार] पर शेयरधारक के रूप

में लागू हों, और विशेष रूप से XYZ वचन देता है कि वह SHA के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

2. यह अनुपालन विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित एवं निर्वचित होगा।

जिसके साक्षी स्वरूप पक्षकारों ने इस अनुपालन विलेख को निष्पादित किया है:

XYZ	वह प्रमोटर जिसका सहयोगी शेयरों का
द्वारा (By)	अभिदान/अधिग्रहण कर रहा है तथा अन्य
नाम (Name)	पक्षकार
पदनाम (Title)	द्वारा (By)
साक्षी (Witness)	नाम (Name)
	पदनाम (Title)
	साक्षी (Witness)

**जो लागू न हो उसे काट दें।*

अनुसूची 2ख

खंड 12.4(ग) के अनुसार किसी तृतीय पक्ष को शेयरों के अंतरण की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले अनुपालन विलेख का प्रारूप

यह अनुपालन विलेख • को, • के कानूनों के अंतर्गत निगमित तथा • में अपना प्रधान कार्यालय रखने वाली एक कंपनी ("XYZ"); तथा

[अंतरणकर्ता पक्षकार के अतिरिक्त अन्य पक्षकार] [विवरण] ("अन्य पक्षकार") के बीच निष्पादित किया गया है;

जबकि निजी प्रमोटर और राज्य प्रमोटर ने हवाईअड्डे से संबंधित एक संयुक्त उद्यम के अंतर्गत अपने पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में • को एक शेयरधारक समझौता ("SHA") किया है, और निजी प्रमोटर तथा राज्य प्रमोटर ने इस प्रयोजन से बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") में भागीदारी की है;

जबकि [अंतरणकर्ता पक्षकार], एक [निजी/राज्य] प्रमोटर*, SHA के खंड 12.4(ग) • के अनुसरण में अपने द्वारा धारित • इक्विटी शेयर XYZ को अंतरित करने का प्रस्ताव करता है, और उसके खंड 12.4(छ) के अनुसरण में प्रस्तावित अंतरिती (transferee) के लिए उक्त शेयरों के अंतरण की पूर्व-शर्त के रूप में एक अनुपालन विलेख निष्पादित करना आवश्यक है; तथा

जबकि उपर्युक्त अंतरण के पश्चात XYZ कंपनी में • इक्विटी शेयर धारण करेगा और SHA की शर्तों के प्रति अपना अनुपालन अभिलिखित करना चाहता है;

अतः अब, यह अनुपालन विलेख निम्नानुसार साक्ष्यांकित करता है:

1. XYZ एतद्वारा पुष्टि करता है कि उसे SHA की एक प्रति उपलब्ध कराई गई है और एतद्वारा अन्य पक्षकारों के साथ यह वचन देता है कि वह SHA के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन एवं निष्पादन करेगा, मानो वह उसका एक पक्षकार हो, उस सीमा तक जहाँ तक वे [अंतरणकर्ता पक्षकार] पर शेयरधारक के रूप में लागू हों, और विशेष रूप से XYZ वचन देता है कि वह SHA के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

2. यह अनुपालन विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित एवं निर्वचित होगा।

जिसके साक्षी स्वरूप पक्षकारों ने इस अनुपालन विलेख को निष्पादित किया है:

XYZ	[अन्य पक्षकार]
द्वारा (By)	द्वारा (By)
नाम (Name)	नाम (Name)
पदनाम (Title)	पदनाम (Title)
साक्षी (Witness)	साक्षी (Witness)

**जो लागू न हो उसे काट दें।*

अनुसूची 2ग

अन्य निवेशकों (Other Investors) द्वारा अभिदान की स्थिति में, अथवा किसी निजी प्रमोटर द्वारा किसी अन्य निवेशक को शेयरों के अंतरण की स्थिति में, अथवा एक अन्य निवेशक से दूसरे अन्य निवेशक को अंतरण की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले अनुपालन विलेख का प्रारूप

यह अनुपालन विलेख • को, • के कानूनों के अंतर्गत निगमित तथा • में अपना प्रधान कार्यालय रखने वाली एक कंपनी ("XYZ"); तथा

[निजी प्रमोटर और राज्य प्रमोटर] ("अन्य पक्षकार") के बीच निष्पादित किया गया है;

जबकि निजी प्रमोटर और राज्य प्रमोटर ने हवाईअड्डे से संबंधित एक संयुक्त उद्यम के अंतर्गत अपने पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में • को एक शेयरधारक करार ("SHA") किया है, और निजी प्रमोटर तथा राज्य प्रमोटर ने इस प्रयोजन से बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") में भागीदारी की है;

जबकि [निजी प्रमोटर] ने प्रस्ताव किया है कि XYZ, SHA के खंड [7.4 या 12.5]*• के अनुसरण में • शेयरों का अभिदान करे या उन्हें अधिग्रहित करे, और उसके अनुसार XYZ के लिए उक्त शेयरों के अभिदान/अंतरण* की पूर्व-शर्त के रूप में एक अनुपालन विलेख निष्पादित करना आवश्यक है; तथा

जबकि उपर्युक्त अभिदान/अंतरण* के पश्चात XYZ • शेयर धारण करेगा और SHA की शर्तों के प्रति अपना अनुपालन अभिलिखित करना चाहता है;

अतः अब, यह अनुपालन विलेख निम्नानुसार साक्ष्यांकित करता है:

1. XYZ एतद्वारा पुष्टि करता है कि उसे SHA की एक प्रति उपलब्ध कराई गई है और एतद्वारा अन्य पक्षकारों के साथ यह वचन देता है कि वह SHA के सभी नियमों एवं शर्तों से बाध्य होगा तथा उनका पालन एवं निष्पादन करेगा, मानो वह उसका एक पक्षकार हो, उस सीमा तक जहाँ तक वे अन्य निवेशकों पर शेयरधारक के रूप में लागू हों, और विशेष रूप से XYZ सहमत है कि वह SHA के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।
2. यह अनुपालन विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित एवं निर्वचित होगा।

जिसके साक्षी स्वरूप पक्षकारों ने इस अनुपालन विलेख को निष्पादित किया है:

XYZ	[अन्य पक्षकार]
द्वारा (By)	द्वारा (By)
नाम (Name)	नाम (Name)
पदनाम (Title)	पदनाम (Title)
साक्षी (Witness)	साक्षी (Witness)

**जो लागू न हो उसे काट दें।*

अनुसूची 3

इक्विटी प्रतिबद्धताएँ (Equity Commitments)

पक्षकार (Parties)	राशि (रु.)
निजी प्रोमोटर	रु. 207.2 करोड़
राज्य प्रोमोटर	रु. 72.8 करोड़
कुल	रु. 280 करोड़

अनुसूची 4

खंड 12.3(c)(iii) / खंड 12.3(d)(iii) के अनुसरण में शेयरों के अंतरण की स्थिति में गारंटी का प्रारूप

यह गारंटी विलेख [] के [] दिन [] स्थान पर [संबंधित निजी प्रमोटर / राज्य प्रमोटर / सहयोगी का नाम] द्वारा, जिसे इसके पश्चात "गारंटीकर्ता" कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि विषय या संदर्भ से असंगत न हो, उसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती सम्मिलित होंगे,

[गारंटीकर्ता के अतिरिक्त अन्य पक्षकार] ("अन्य पक्षकार") के पक्ष में निष्पादित किया गया है;

जबकि

- क. पक्षकारों ने [तिथि का उल्लेख करें] को एक शेयरधारक करार ("शेयरधारक करार") संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में किया है, जो बेंगलूर के निकट देवनहल्ली, कर्नाटक में नए बेंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अभिकल्पन, वित्तपोषण, निर्माण, संचालन एवं रखरखाव की परियोजना के लिए, बेंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") नामक एक विशेष प्रयोजन इकाई (special purpose vehicle) के माध्यम से है।
- ख. [शेयरधारक करार के खंड 12.3(c)(iii) के अनुसार, गारंटीकर्ता को, अंतरणकर्ता के रूप में, किसी सहयोगी ("अंतरिती") को शेयरों के प्रस्तावित अंतरण के अनुसरण में, अंतरिती के दायित्वों के सम्यक निष्पादन एवं निर्वहन हेतु प्रतिभूति के रूप में, प्रत्येक अन्य पक्षकार को एक गारंटी ("गारंटी") प्रदान करनी आवश्यक है, जिसका विवरण इसके संलग्न अनुबंध (Annexure) में दिया गया है।

अथवा

- ख. शेयरधारक करार के खंड 12.3(d)(iii) के अनुसार, गारंटीकर्ता को, गारंटीकर्ता के किसी सहयोगी के शेयरों के गारंटीकर्ता के किसी अन्य सहयोगी ("अंतरिती") को प्रस्तावित अंतरण के अनुसरण में, अंतरिती के दायित्वों के सम्यक निष्पादन एवं निर्वहन हेतु प्रतिभूति के रूप में, संबंधित निजी प्रवर्तक या राज्य प्रवर्तक, जैसा भी मामला हो, की

मूल कंपनी (parent company) से प्रत्येक अन्य पक्षकार को एक गारंटी ("गारंटी") प्रदान करनी आवश्यक है, जिसका विवरण इसके संलग्न अनुबंध में दिया गया है।]

- ग. गारंटीकर्ता ने तदनुसार, वैध प्रतिफल के बदले, अन्य पक्षकारों के पक्ष में यह गारंटी, जो कि ये प्रस्तुत दस्तावेज़ हैं, प्रदान करने के लिए सहमति दी है, जिसके द्वारा अंतरिती द्वारा शेयरधारक करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के सम्यक निष्पादन एवं निर्वहन की गारंटी दी जाती है।

अतः अब, यह विलेख निम्नानुसार साक्ष्यांकित करता है:

1. इसमें प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित पूंजीकृत (Capitalised) शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः शेयरधारक समझौता में दिया गया है।
2. खंड [12.3(c)(iii) / 12.3(d)(iii)]* के अनुसार, गारंटीकर्ता एतद्वारा अप्रतिसंहरणीय रूप से शेयरधारक करार के अंतर्गत अंतरिती के सभी दायित्वों के सम्यक एवं समय पर निष्पादन की गारंटी देता है।
3. यह गारंटी गारंटीकर्ता के संविधान में किसी परिवर्तन अथवा उसके समापन (winding up) से, अथवा गारंटीकर्ता के किसी व्यक्ति या इकाई के साथ किसी समावेशन, पुनर्गठन, विलय या समामेलन से प्रभावित नहीं होगी।
4. अन्य पक्षकारों द्वारा अंतरिती से देय किन्हीं धनराशियों के भुगतान के प्रवर्तन में उपेक्षा, सहनशीलता या अधित्याग, अथवा अंतरिती को अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए अन्य पक्षकारों द्वारा समय की कोई वृद्धि दिए जाने से गारंटीकर्ता इस गारंटी के अंतर्गत अपने दायित्व से किसी भी प्रकार मुक्त नहीं होगा।
5. गारंटीकर्ता वचन देता है कि वह अन्य पक्षकारों को किसी भी दायित्व, हानि या क्षति के विरुद्ध, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें क्षतिपूर्ति सुरक्षित रखेगा, जो अंतरिती द्वारा गारंटीकर्ता के शेयरों के अधिग्रहण के फलस्वरूप उस पर आए शेयरधारक करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के किसी महत्वपूर्ण उल्लंघन (Material Breach) के कारण उत्पन्न हो (जिसमें, बिना किसी सीमा के, अन्य पक्षकारों द्वारा उठाई गई सभी लागतें, शुल्क एवं व्यय शामिल हैं)।

6. इसके अंतर्गत गारंटीकर्ता के दायित्व निरंतर दायित्व होंगे और शेयरधारक समझौता के अंतर्गत अंतरिती के दायित्वों के साथ सह-समाप्तिक (co-terminus) होंगे।

जिसके साक्षी स्वरूप, गारंटीकर्ता ने [वर्ष] के [माह] के [दिन] दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई तथा इसे परिदत्त किया।

[गारंटीकर्ता का नाम एवं पता]

[प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता]

[पदनाम]

[मुहर]

उपस्थिति में:

1. नाम एवं पता
2. नाम एवं पता

जो लागू हो उसे चुनें

अनुसूची 5

गारंटीकृत अधिकतम मूल्य (Guaranteed Maximum Price)

21 सितंबर, 2001

परियोजना लागत, राज्य सहायता एवं संरचना पर चर्चाओं का अभिलेख

1. बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी आदेश संख्या IDD16/DIA2001 दिनांक 10/07/2001 के माध्यम से गठित वार्ता दल (Negotiating Team - NT) तथा सीमेंस कंसोर्टियम (Siemens Consortium) ने 13 से 23 अगस्त तथा 19 से 21 सितंबर के बीच दो चरणों में बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन बैठकों का केंद्रबिंदु परियोजना लागत को अनुकूलित करना तथा परियोजना के लिए राज्य सहायता की मात्रा एवं संरचना निर्धारित करना था। बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची संलग्न है।
2. लागतों के विस्तृत विश्लेषण एवं अनुकूलन के पश्चात, परियोजना का गारंटीकृत अधिकतम मूल्य (Guaranteed Maximum Price - GMP) US\$ 230 मिलियन निर्धारित किया गया है। अगले चरण में, विस्तृत इंजीनियरिंग एवं लागत आकलन को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा इसी GMP के अंतर्गत अंतिम परियोजना लागत निर्धारित की जाएगी।
3. परियोजना लागत में US\$ 15 मिलियन की आकस्मिकता निधि (contingency) शामिल है, जो पूर्ण या आंशिक रूप से वास्तव में उपयोग में ली भी जा सकती है और नहीं भी।
4. विशेष रूप से, विस्तृत विश्लेषण एवं चर्चाओं के दौरान, कुछ क्षेत्र लागत बचत के लिए चिह्नित किए गए। तथापि, वर्तमान चरण में सुनिश्चित आँकड़े निर्धारित नहीं किए जा सकते। अन्य बातों के साथ-साथ, ये मद निम्न से संबंधित हैं:
 - क. BOQ में की गई अस्पष्ट, समेकित (aggregated) व्यवस्थाएँ
 - ख. लागत अनुमानों पर विचारों में महत्वपूर्ण अंतर

ग. मर्दों एवं घटकों के स्रोत-निर्धारण (sourcing) एवं क्रय (procurement) के कारण भिन्नताएँ

इन मर्दों के अंतिम लागत आँकड़े विस्तृत इंजीनियरिंग एवं क्रय के दौरान निश्चित किए जाएंगे (मर्दों की सूची नीचे पैरा 5 में दी गई है)।

5. पैरा 4 में उल्लिखित लागत बचत, जो US\$ 15 मिलियन है, निम्न के विरुद्ध है:

क. फर्नीचर, साज-सज्जा एवं जल निकाय (Water Bodies);

ख. प्रणालियाँ (Systems);

ग. एस्केलेटर एवं अग्निशमन;

घ. सीएनएस - एटीसी / एटीएम उपकरण।

6. US\$ 230 मिलियन की परियोजना लागत के घटक निम्नानुसार हैं:

	घटक	राशि
क.	निर्धारित लागत (Settled cost)	US\$ 200 मिलियन
ख.	आकस्मिकताएँ (Contingencies)	US\$ 15 मिलियन
ग.	पैरा 5 की मर्दों पर वृद्धिशील लागत (विस्तृत इंजीनियरिंग एवं क्रय के अधीन)	US\$ 15 मिलियन
	कुल	US\$ 230 मिलियन

7. वित्तीय मॉडल में मानी गई वैमानिक-शुल्क (Aero-tariff) व्यवस्था में नागर विमानन मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्पष्टीकरणों के पश्चात परिवर्तन हुए हैं। इन स्पष्टीकरणों के पश्चात तथा संशोधित शुल्क संरचना को ध्यान में रखते हुए, अनुमानित राजस्व के एनपीवी पर इन परिवर्तनों का प्रभाव सीमेंस कंसोर्टियम द्वारा US\$ 5 मिलियन बताया गया है। कर्नाटक सरकार को विश्वास है कि एक बेहतर वैमानिक शुल्क एवं यात्री शुल्क (Passenger Fee) व्यवस्था लागू की जा सकती है।

तथापि, जिस सीमा तक ऐसी वृद्धि प्राप्त नहीं होती, उस सीमा तक राज्य सहायता को अतिरिक्त आकस्मिकता निधि के रूप में अधिकतम US\$ 5 मिलियन तक उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

8. परिणामस्वरूप, राज्य सहायता की संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित है:

	मद	राशि
क.	गारंटीकृत अधिकतम सहायता (पैरा 6क)	US\$ 45 मिलियन
ख.	गारंटीकृत अधिकतम आकस्मिक सहायता (पैरा 6ख)	US\$ 15 मिलियन
ग.	गारंटीकृत अधिकतम मद सहायता (पैरा 5)	US\$ 15 मिलियन
घ.	गारंटीकृत अधिकतम अतिरिक्त आकस्मिक सहायता (पैरा 7)	US\$ 5 मिलियन
	कुल	US\$ 80 मिलियन

टिप्पणी:

मद 'क' वित्तीय मॉडल में दर्शाए अनुसार ऋण (debt) के साथ अनुपात में (pro-rata) निकाली जाएगी।

मद 'ख' तब और जब आकस्मिकता निधि की पूर्ति करनी हो, तब निकाली जाएगी।

मद 'ग' विस्तृत इंजीनियरिंग, क्रय एवं लागत सत्यापन के अधीन, ऋण के साथ अनुपात में होगी।

मद 'घ' वैमानिक शुल्क एवं यात्री शुल्क समायोजन के अधीन, ऋण के साथ अनुपात में होगी।

9. सीमेंस कंसोर्टियम ने उपर्युक्त की स्वीकृति की पुष्टि कर दी है। इसके आधार पर, वार्ता दल अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा।

हस्ताक्षरकर्ता (मूल दस्तावेज़ में हस्ताक्षर सहित):

(C. GOPAL REDDY)	(EBERHARD BORCH)
------------------	------------------

(S. KRISHNA KUMAR)	(HERBERT MEIER)
(C.K NEELAKANTA RAJ)	(A. RAMAKRISHNA)
(K. JAIRAJ)	(K.V RANGASWAMI)
(P.S NAIR)	(S.N SUBRAHMANYAN)
(PRADEEP SINGH)	(N.C SHEKAR)
(Y.M SHIVAMURTHY)	
(P.S SANDHAWALIA)	

अनुसूची 6

मूल्यांकन तंत्र (Valuation Mechanism)

1. शेयरों के उचित बाज़ार मूल्य (Fair Market Value) का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय ख्याति की स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म ("मूल्यांकनकर्ता") द्वारा, एक इच्छुक विक्रेता और एक इच्छुक क्रेता के बीच लेन-देन के आधार पर तथा भारतीय GAAP के अनुसार निर्धारित शेयरों का मूल्य, बशर्ते कि ऐसा मूल्य निर्धारित करते समय मूल्यांकनकर्ता:
 - (क) भूमि पट्टा समझौता (Land Lease Agreement) के अंतर्गत कंपनी को उपलब्ध कराई गई भूमि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं में (per se) कोई मूल्य न दे और न ही उसे ध्यान में ले, बशर्ते कि एडीए के अनुसार भूमि पर परियोजना विकसित करने के कंपनी के अधिकारों से उत्पन्न या उनके अनुसरण में उत्पन्न किसी भी मूल्य पर विचार किया जा सकता है;
 - (ख) कंपनी को प्रदान की गई राज्य सहायता (State Support) के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोपणीय किसी भी मूल्य को अपवर्जित करे।
2. इस समझौते की शर्तों के अनुसार जहाँ शेयरों के उचित बाज़ार मूल्य का निर्धारण अपेक्षित हो, वहाँ किसी संबंधित पक्षकार से निर्धारण का अनुरोध प्राप्त होने पर, बोर्ड मूल्यांकनकर्ता का चयन करेगा और उपर्युक्त पैरा 1 के अनुसार उचित बाज़ार मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकनकर्ता को निर्देश देगा।
3. कंपनी, मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के सात (7) दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे निर्धारण के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगी।
4. मूल्यांकनकर्ता इसके पश्चात बीस (20) दिनों की अवधि के भीतर उचित बाज़ार मूल्य का निर्धारण करेगा और अपनी रिपोर्ट सभी पक्षकारों को प्रतियों सहित बोर्ड को प्रदान करेगा।
5. ऐसे निर्धारण के लिए मूल्यांकनकर्ता के शुल्क सहित हुई लागतों का वहन विक्रेता और/या क्रेता द्वारा, जैसा कि बोर्ड द्वारा युक्तियुक्त रूप से निर्धारित किया जाए, किया जाएगा।

अनुसूची 7

क्रय दिशानिर्देश (Procurement Guidelines)

संबंधित पक्षों (related parties) के साथ परियोजना समझौता प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक शर्तों पर होंगे तथा यहाँ वर्णित पारदर्शी लेखा-परीक्षा एवं समीक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए स्वतंत्र पक्षों के बीच (arm's length) व्यवस्थाओं पर आधारित होंगे:

1. कंपनी, अपने बोर्ड के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा, ऐसी परियोजनाओं या उनके घटकों, जैसा भी मामला हो, में अनुभव रखने वाली प्रतिष्ठित फर्म/फर्मों को स्वतंत्र परामर्शदाता अभियंताओं (Independent Consulting Engineers - ICE) के रूप में नियुक्त करेगी, जिन्हें वित्तीय परामर्शदाताओं/सलाहकारों की एक प्रतिष्ठित फर्म का सहयोग प्राप्त होगा। ICE फर्म/फर्में कंपनी के किसी भी शेयरधारक की सहयोगी (associate) या संबद्ध (Affiliate) नहीं होंगी।
2. ICE का कार्यकाल वाणिज्यिक संचालन तिथि (Commercial Operations Date) के पूर्ण होने के एक (1) वर्ष पश्चात तक जारी रहेगा। बोर्ड सर्वसम्मत निर्णय द्वारा नियुक्ति को आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।
3. आईसीई (ICE):
 - (क) विभिन्न तकनीकी / वास्तुशिल्पीय / मास्टरप्लान परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किए गए सभी अभिकल्पों, रेखाचित्रों, विनिर्देशों एवं क्रय दस्तावेजों की उनकी अनुरूपता एवं युक्तियुक्तता के लिए समीक्षा करेगा।
 - (ख) परियोजना विनिर्देशों एवं लागत का समान दायरे और प्रकृति की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजनाओं के विरुद्ध 'बेंचमार्किंग' अभ्यास करेगा।
 - (ग) कंपनी तथा ऋणदाता के अभियंता द्वारा नियुक्त परियोजना परामर्शदाताओं के समन्वय से, निर्माण / EPC / उपकरण आपूर्ति अनुबंधों के लिए इष्टतम एवं प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक शर्तें निर्धारित करेगा। इन शर्तों में सुपुर्दगी योग्य वस्तुओं की गुणवत्ता, सुपुर्दगी की समय-सारणी तथा मूल्य की स्थिरता को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) विभिन्न अनुबंधों के विभिन्न घटकों के लिए उपर्युक्त सर्वसम्मत शर्तों का समुच्चय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। जहाँ ICE और परियोजना परामर्शदाताओं के बीच ऐसी सर्वसम्मत शर्तों पर सहमति नहीं बन पाती, वहाँ ICE और परियोजना परामर्शदाता बोर्ड को कारणों एवं उनके आकलन सहित एक भिन्नता विवरण (variation statement) प्रस्तुत करेंगे।

4. विभिन्न परामर्शदाताओं द्वारा किए गए तकनीकी विवरण, ICE की सिफारिशों तथा ऋणदाता के अभियंताओं के आधार पर, बोर्ड परियोजना करारों की शर्तों के संबंध में निर्णय लेगा।

अनुसूची 8

गतिविधियों की समय-सारणी (Schedule of Activities)

क्र.सं.	गतिविधि	मूल (English)
1	प्रारंभिक SHA	Initial SHA
2	SHA पर हस्ताक्षर	Signing SHA
3	परियोजना दल का गठन + बजट	Setting up Project Team + Budget
4	परामर्शदाताओं / सलाहकार का चयन	Select Consultants / Advisor
5	मास्टरप्लान	Masterplan
6	नियोक्ता की आवश्यकताएँ	Employer's Requirements
7	दस्तावेजीकरण सहित EPC बोली प्रक्रिया	EPC Bidding including Documentation
8	EPC अनुबंध वार्ताएँ	EPC Contract Negotiations
9	DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)	DPR
10	यातायात अध्ययन	Traffic Study
11	बाज़ार अध्ययन	Market Study
12	व्यवसाय योजना	Business Plan
13	वित्त योजना	Finance Plan
14	जोखिम विश्लेषण	Risk Analysis
15	स्थल पट्टा करार	Site Lease Agreement

16	राज्य सहायता करार	State Support Agreement
17	ADA	ADA
18	O&M बोली	O&M Bid
19	O&M करार	O&M Agreement
20	अन्य महत्वपूर्ण करार	Other Critical Agreements
21	ATC करार	ATC Agreement
22	वित्त संबंधी वार्ताएँ एवं करार	Finance Negotiations & Agreem.
23	बीमा	Insurances
24	सरकारी अनुमतियाँ, अनुमोदन आदि	Government Permits, Approvals, etc.
25	निर्माण प्रारंभ	Start Construction